तारूण्य
TARUNYA

बाल विवाह को समाप्त करने एवं किशोर-किशोरी
सशक्तिकरण के लिए संचार और प्रशिक्षण सामग्रियों का पैकेज

new concept
Centre for
Development Communication

unicef
for every child

अभिस्वीकृति

तारुण्य पैकेज में विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठन और संस्थान जैसे बिहार सरकार, झारखंड सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, बीबीसी मीडिया एक्शन, ब्रेकथ्रू, कम्यूटीनी, पीएफआई, यूएनएफपीए, यूनीसेफ और एनसीसीडीसी आदि के संसाधनों को शामिल किया गया हैं।

यूनिसेफ इस पैकेज को संभव बनाने के लिए इन संगठनों और संस्थानों के योगदान और समर्थन को सराहता है।

तारूण्य
TARUNYA

बाल विवाह को समाप्त करने एवं किशोर-किशोरी
सशक्तिकरण के लिए संचार और प्रशिक्षण सामग्रियों का पैकेज

क्रियान्वयन दिशा-निर्देशिका

संक्षिप्त प्रारूप

new concept
Centre for
Development Communication

unicef
for every child

विषय-वस्तु

संक्षिप्ताकार vi

दिशा-निर्देशिका का संयोजन और इसका उद्देश्य vii

1 संदर्भ और बदलाव को तीव्र करने की आवश्यकता 1

2 एक साथ मिलकर कार्य करना – प्रयासों को मजबूती देना 5

3 सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC) 11

4 *तारूण्य* पैकेज – सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार का एक शक्तिशाली साधन 18

5 हम-उम्र साथियों के साथ संवाद 21

6 अंतर-पीढ़ी संवाद 24

7 सामुदायिक लामबन्दी और जुड़ाव 27

8 *तारूण्य* पैकेज पर प्रशिक्षण 30

9 कार्य योजना विकसित करना 33

10 परिणामों की निगरानी (अनुश्रवण) 37

संलग्नक 40

© NCCDC

संक्षिप्ताकार

ए.ए.ए.	आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम.
ए.एच.डी.	किशोर–किशोरी स्वास्थ्य दिवस
ए.एम.बी.	अनिमिया मुक्त भारत
ए.एन.एम.	ऑक्ज़ीलियरी नर्स मिडवाईफ
ए.आर.एस.एच	किशोरावस्था प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य
ए.एस.एच.ए.	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
बी.बी.बी.पी.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बी.एस.जी.	भारत स्काऊट एंड गाइड
सी4डी	विकास के लिए संचार
सी.बी.ई.	समुदाय आधारित आयोजन
सी.बी.ओ.	समुदाय आधारित संगठन
सी.एम.	मुख्यमंत्री
सी.एच.एम.ओ.	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी
सी.एम.पी.ओ.	जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी
सी.एस.ओ.	सामाजिक संगठन
सी.एस.आर.	कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
डी.ए.वाई.	दीनदयाल अन्त्योदय योजना
डी.सी.	जिला कलेक्टर
डी.ई.ओ.	जिला शिक्षा अधिकारी
डी.एम.	जिला मजिस्ट्रेट
डी.आर.डी.ए.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी
एफ.एफ.एल.	जीवन के वास्तविक तथ्य
आई.सी.डी.एस.	समेकित बाल विकास सेवाएं
आई.सी.पी.एस.	समेकित बाल संरक्षण स्कीम
आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा तथा संचार
एल.एस.	महिला पर्यवेक्षिका
एम.डी.एम.	मध्यान्ह भोजन
एम.एच.एफ.डब्ल्यू.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एम.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.डी.डब्ल्यू.एस.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एम.एल.ए.	विधान सभा सदस्य
एम.पी.	संसद सदस्य
एम.एस.डी.ई.	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
एम.एस.के.	महिला शक्ति केन्द्र
एम.डब्ल्यू.सी.डी.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एम.वाई.ए.एस.	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.एच.एम.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एन.आर.एल.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन
एन.एस.एस.	राष्ट्रीय सेवा स्कीम
एन.वाई.के.एस.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन
पी.एम.के.वी.वाई.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थाएं
डी.पी.ओ.	जिला कार्यक्रम अधिकारी
पी.एस.ए.	सार्वजनिक सेवा उद्घोषणा
आर.जी.एन.आई.वाई.डी.	युवा विकास हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान
आर.के.एस.के.	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
आर.वाई.एस.के.	राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम
एस.ए.जी.	किशोरी बालिकाओं के लिए स्कीम
एस.बी.सी.सी.	सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार
एस.बी.एम.	स्वच्छ भारत मिशन
एस.ई.एम.	सामाजिक पारिस्थितिकी मॉडल
एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
यू–डी.आई.एस.ई.	शिक्षा हेतु जिला एकीकृत सूचना तंत्र
वी.एच.एस.एन.डी.	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस
डब्ल्यू.ए.एस.एच.	जल और स्वच्छता

दिशा-निर्देशिका का गठन और इसका उद्देश्य

दिशा–निर्देशिका का उद्देश्य : यह निर्देशिका विकास के लिए संचार (C4D) के नेटवर्क और साझेदारों को किशोर–किशोरी सशक्तिकरण तथा बाल विवाह की समाप्ति को लक्ष्य बनाकर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, जिले और राज्य स्तर पर सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC) पैकेज के प्रभावी इस्तेमाल और क्रियान्वयन में, सहायता देने के लिए तैयार की गई है।

यह दिशा–निर्देशिका किशोर–किशोरी सशक्तिकरण और बाल विवाह की समाप्ति के लिए राज्यों में नियोजन, प्राथमिकीकरण और अनेक क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक क्रियान्वयन पद्धति की पहल के लिए एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में इस्तेमाल की जाएगी।

यह अपेक्षा की जाती है कि यह दिशा–निर्देशिका प्रयोगकर्ताओं को उच्च व्याप्ति वाले राज्यों में कम से कम 50 प्रतिशत जिलों में, किशोर–किशोरी सशक्तिकरण और बाल विवाह की समाप्ति के हस्तक्षेपों को बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन करने में सहायक होगी– ताकि यूनिसेफ के कन्ट्री प्रोग्राम 2018–2022 के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके। इस बात का प्रयास किया जाएगा कि किशोर–किशोरी सशक्तिकरण से जुड़े सकारात्मक उदाहरण विकसित हों और जो परिवर्तनकारी बदलाव पर केन्द्रित हों।

प्रयोग करने वालों के लिए टिप्पणी: सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन एक धीमी तथा चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। विशेषज्ञ, क्रियान्वयनकर्ता तथा सेवा प्रदाता जो बाल विवाह की समाप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें अक्सर परिवारों तथा समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वे पूरी लगन के साथ अपने कार्य में लगे रहते हैं क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि बदलाव लाया जा सकता है। यह उनके ठोस प्रयासों का ही नतीजा है कि भारत में बाल विवाह की दर धीरे–धीरे कम हो रही है। आगे का मार्ग भी कठिनाईयों से भरा पड़ा है किन्तु हमें निराश नहीं होना है। दरअसल हमें बदलाव में तेजी लाने के लिए और कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा ताकि भारत को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके। बदलाव में तेजी लाने के लिए, प्रयोगकर्ताओं हेतु तारुण्य पैकेज की सामग्रियों का सेट उपयोगी है। हम पूर्ण रुप से विश्वास करते हैं कि बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष करने और किशोर–किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए प्रयोगकर्ता इस पैकेज का भली–भांति इस्तेमाल करेंगे और अपने कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि लाएंगे।

संदर्भ और बदलाव को तीव्र करने की तात्कालिकता

किशोरावस्था को अवसरों की उम्र कहा गया है। इस उम्र में बच्चों में बहुमुखी बदलाव होता है और वे एक युवा के रुप में विकसित होते हैं। भारत में 25.3 करोड़ किशोर–किशोरी निवास करते हैं।[1] स्वास्थ्य समस्याएं जैसे एचआईवी/एड्स, शीघ्र गर्भधारण, असुरक्षित यौन संबंध, तनाव और चोटें, किशोर स्वास्थ्य, खुशहाली तथा जीवन के अवसर के लिए रोज का खतरा है। उनमें से अनेक हिंसा, प्रताड़ना तथा दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। इसके साथ ही साथ नई उत्पन्न होने वाली समस्याएं जिसमें मोटापे का बढ़ता स्तर, मानसिक स्वास्थ्य असंतुलन और उच्च बेरोजगारी[2], समस्या को और बढ़ा देती हैं। भारत में अधिकांश किशोर–किशोरी शैक्षिक समस्याओं का भी सामना करते हैं। उनमें से एक तिहाई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय या ऊंची कक्षाओं में अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते है[3]। उन्हें वयस्कों की तरह घर की आय में योगदान देने की जिम्मेदारी दे दी जाती है और जबरदस्ती कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है।

भारत में किशोर बालिकाएं विशेष रुप से कमजोर है क्योंकि उन्हें अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनकी प्रतिकूल परिस्थिति जन्म से पहले ही गर्भ में लिंग चयन के रूप में शुरू हो जाती है और पांच वर्ष की उम्र तक मृत्यु की अधिक संभावना (लड़कों की तुलना में) और बाल विवाह के रुप में जारी रहती है।

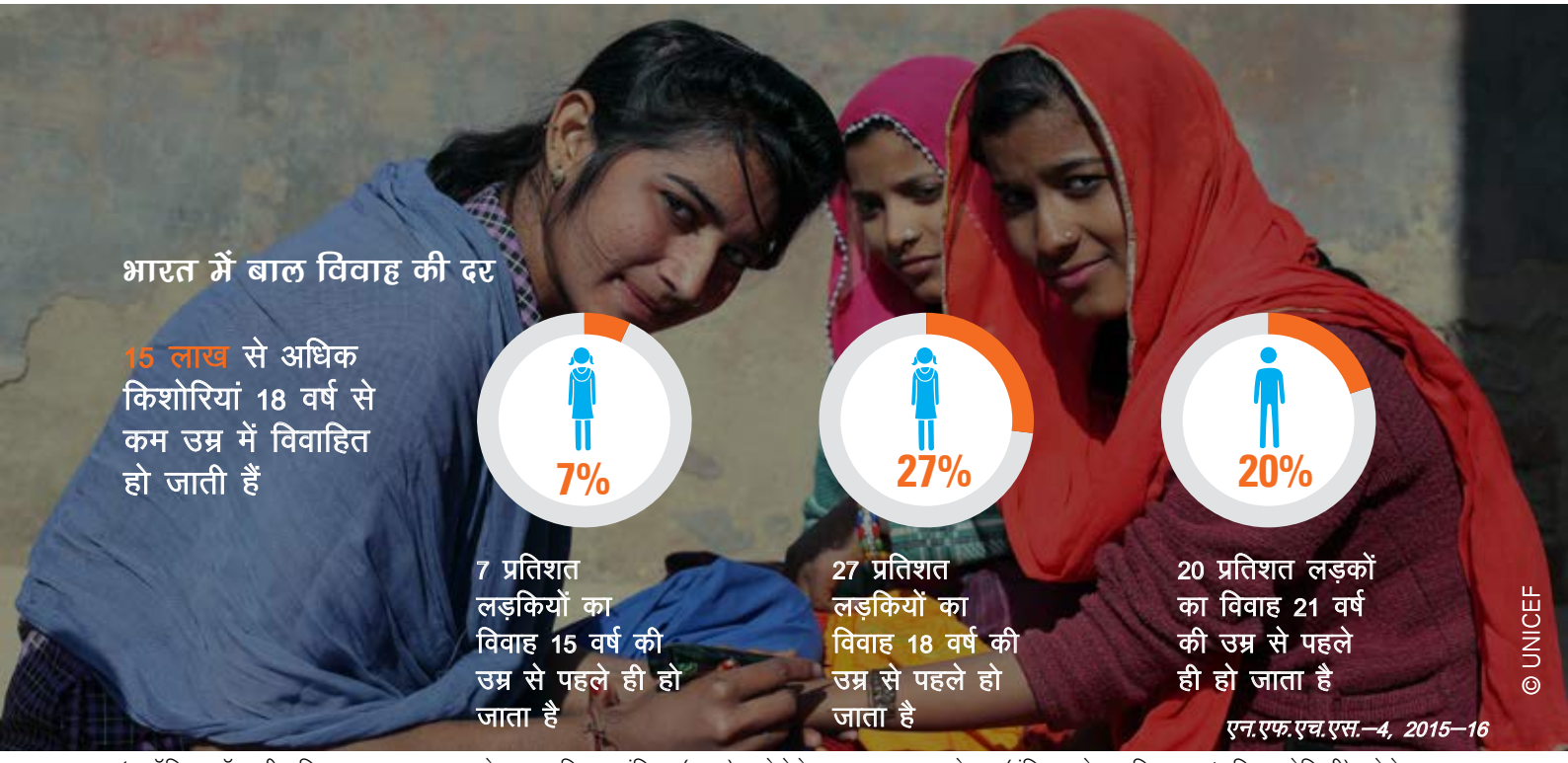

[1] ऑफिस ऑफ दी रजिस्ट्रार जनरल एण्ड सेन्सस कमिश्नर इंडिया (2001) एडोलेसेन्ट एण्ड यूथ पापूलेशन (इंडिया स्टेट्स डिस्ट्रक्ट/यूनियन टेरिटरी) एवेलेबल एट http://www.censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html

[2] https://www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/our-future/index.html

[3] मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2016) एजूकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लास नई दिल्ली, भारत सरकार, एवेलेबल एट https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/ESG2016.pdf

यद्यपि बाल विवाह से लड़की तथा लड़का दोनों प्रभावित होते हैं किंतु लड़कियों पर इसके कुप्रभाव अधिक गंभीर हैं। लड़कियां जिनकी जल्दी शादी हो जाती है उनकी पढ़ाई छूट जाती है और उनके समयपूर्व गर्भधारण, मातृ मृत्यु तथा बीमारी और बच्चे के कुपोषण के दुष्चक्र में फंसने का जोखिम अधिक होता है। बाल विवाह के कारण किशोर–किशोरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक क्षमता विकसित करने तथा व्यक्तिगत विकास के अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

बाल विवाह किशोर-किशोरियों को निःशक्त बनाता है

भारत में बाल विवाह के विभिन्न कारक हैं जैसे लैंगिक भेदभाव और यह विश्वास कि लड़कियां, लड़कों से कमतर हैं। लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने में प्रचलित सामाजिक मापदण्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के कई राज्यों में माता–पिता, परिवारों और समुदायों का यह अटूट विश्वास है कि उनके बच्चों के लिए शीघ्र विवाह सबसे अच्छा विकल्प है। उनके लिए बाल विवाह के लाभ, बाल विवाह के दुष्परिणामों से ज्यादा है। माता–पिता समुदाय में बहुमत में प्रचलित विश्वासों द्वारा प्रभावित होते हैं और इन मापदण्डों के अनुसार कार्य करते हैं।

बाल विवाह के पक्ष में समुदाय के सामान्य विश्वास

- जैसे ही किशोरी का यौवनारम्भ (Puberty) हो जाए तो उसकी शुद्धता बचाने तथा परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए उसकी शादी कर देनी चाहिए।
- गरीब परिवार लड़की की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते।
- लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, आखिर उन्हें घर ही तो सम्भालना है इसलिए उनके लिए शादी ही एकमात्र विकल्प है
- कम उम्र में विवाह करने पर कम दहेज की मांग होती है

ये मापदण्ड तथा विश्वास, जन्म के समय ही लड़कियों का विवाह तय कर देना या अट्टा–सट्टा दो परिवारों में विवाह के द्वारा दुल्हन की अदला–बदली, जैसी परंपरागत प्रथाओं के साथ मिलकर बाल विवाह में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार प्रचलित सामाजिक मापदण्डों, व्यवहारों और आदतों को व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर बदलना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि किशोर–किशोरियों को, खासकर किशोरियों को सक्षम बनाया जाए ताकि इन चुनौतियों का वे सामना और संचालन कर सकें।

बदलाव संभव और आवश्यक है

इस बात को साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि किशोरावस्था में जो व्यवहार शुरू होते हैं वे जीवन पर्यन्त व्यक्ति के स्वास्थ्य और खुशहाली को निर्धारित करते हैं[4]। इसलिए किशोरावस्था के दौरान व्यवहारिक बदलाव में निवेश करने से यह गरीबी, असमानता और लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है। किशोर–किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए हम–उम्र तथा अंतर–पीढ़ी संवाद और सामाजिक लामबन्दी के माध्यम से सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के समेकित प्रयास में यह क्षमता है कि वह बाल विवाह की रोकथाम के संबन्ध में जानकारी, मनोवृत्ति और व्यवहारों को बढ़ावा दे सकें।

किशोर–किशोरियों के लिए देशव्यापी बदलाव को गति देने के लिए यूनिसेफ का एक मुख्य परिणाम का क्षेत्र बाल विवाह की समाप्ति है। प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केन्द्र, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और किशोरियों के लिए योजनाएं (एस.ए.जी.) में व्यक्त मुख्य राष्ट्रीय प्राथमिकताएं ही कार्यक्रम की केन्द्र बिन्दु हैं। इस लक्ष्य की दिशा में छोटे पैमाने पर मुख्यतः क्षेत्र–विशेष हस्तक्षेपों की जगह पर मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों के आधार पर किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर जिला स्तर के मॉडल की और क्रमशः कदम बढ़ाये जा रहे है।

बदलाव में तेजी लाने के लिए रणनीतियां

बदलाव में तेजी लाने और किशोर–किशोरियों तथा उनके परिवारों के जीवन में सुधार लाने के लिए पांच प्रमुख रणनीतियां अपनाई हैं। यह रणनीतियां, अनुकूल सामाजिक, नीतिगत और वैधानिक वातावरण में कार्य करेंगी। इस वातावरण को बनाने के लिए किशोर–किशोरी अनुकूल नीतियों, तंत्रों, एवं सेवाओं का पर्याप्त क्रियान्वन; मीडिया के द्वारा पैरवी और हितधारक निर्माण; साझेदारी बनाना और किशोरावस्था संबंधी आंकड़ों और सबूतों को इकठ्ठा करना, इन चार क्षत्रों की व्यापक रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में पहचान की गयी है। (देखें चित्रः 1)

बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार, बदलाव में तेजी लाने के लिए ऊपर वर्णित रणनीतियों का एक अभिन्न अंग है और हर रणनीति से जुड़ा हुआ है। यूनिसेफ ने हम–उम्र साथियों, परिवार और समुदाय के स्तर पर संवाद की शुरूआत करने और कायम रखने पर जोर दिया है क्योंकि उन सामाजिक मापदण्डों और मनोवृत्तियों जो बाल विवाह का समर्थन करते हैं और जिसके परिणामस्वरूप बाल अधिकार का उल्लंघन होता है, को बदलने का यह एक कारगर कदम है। सभी इस बात पर मज़बूती से विश्वास करते है कि जब तक बाल विवाह से संबंधित एक सकारात्मक संवाद हर स्तर पर शुरू नहीं किया जाता तब तक व्यापक स्तर पर बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए इस बदलाव के लिए संवाद पहला कदम है। इसी वजह से यूनिसेफ ने सोच–समझकर *तारूण्य* पैकेज को डिजाइन और संकलित किया है। *तारूण्य* पैकेज में अनेक प्रकार की सामग्री हैं जो किशोर–किशोरी के सशक्तिकरण के मुद्दे पर हम–उम्र साथियों, अंतर–पीढ़ी तथा सामुदायिक संवाद को सुगम बनाते हैं।

[4] Sheehan P., Sweeny, K., Rasmussen, B., Wils, A., Friedman H., Mahon J., . . . Laski, L. (2017). Building the foundations for sustainable development: a case for global investment in the capabilities of adolescents.
Health Policy, 390, 10104, 1792-1806. Available at:https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/reference_list_author_authors.html

चित्रः 1

बदलाव में तेजी लाने के लिए रणनीतियां

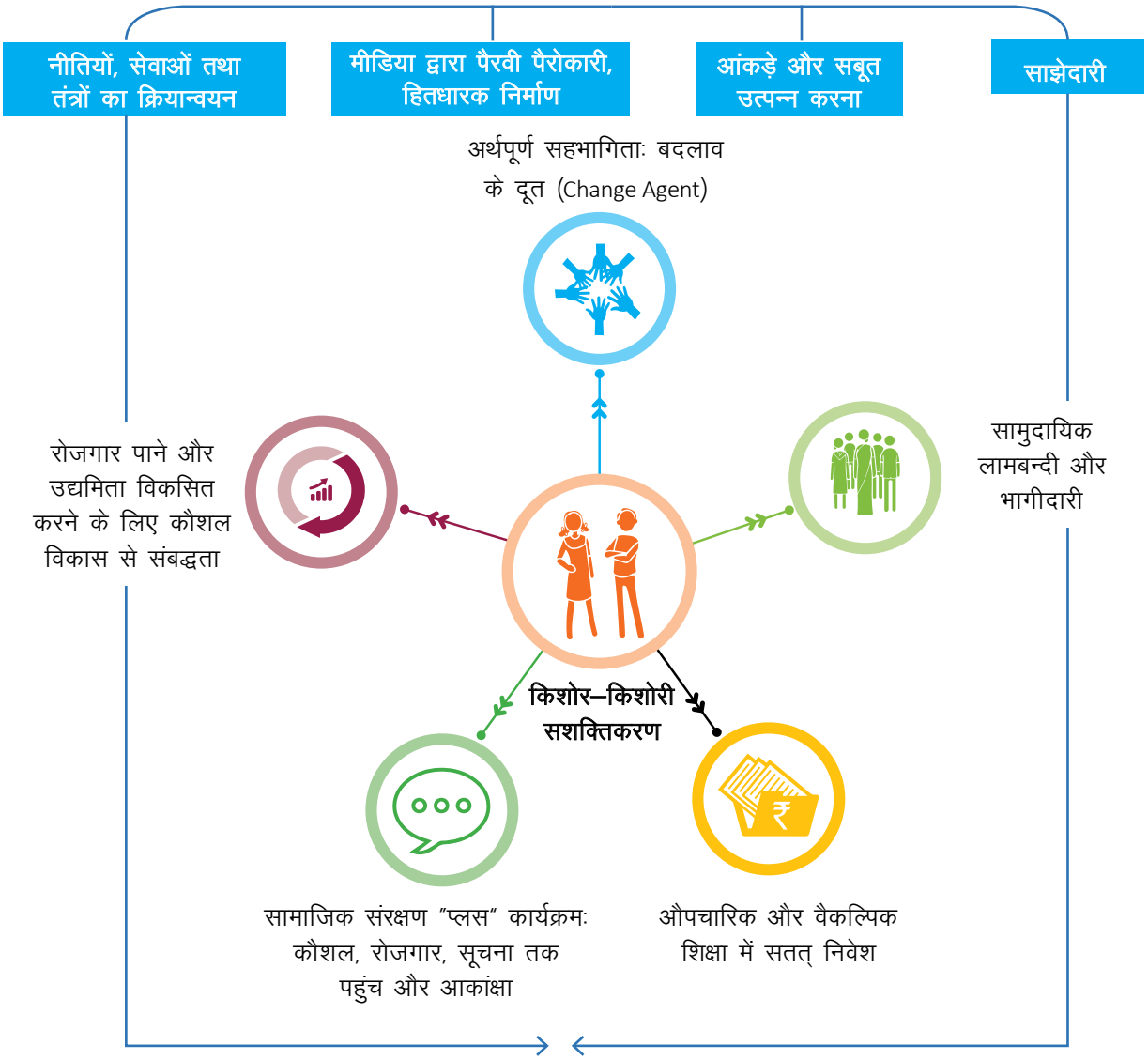

2

एक साथ मिलकर कार्य करना - प्रयासों को मजबूती देना

विभिन्न स्तरों पर अभिसरण (Convergence)

महिला और बाल विकास मंत्रालय बाल विवाह की समाप्ति के लिए तकनीकी सहायता, समन्वय, अभिसरण और अनुश्रवण प्रयासों के लिए मुख्य बिन्दु है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय वह मुख्य मंत्रालय है, जो किशोर–किशोरियों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कौशल विकास। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय किशोर–किशोरियों के व्यक्तित्व विकास और नागरिकता निर्माण के लिए कार्य करता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत युवाओं को रोजगार प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सभी मंत्रालयों को, किशोर–किशोरियों के समग्र विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। (नीचे का चित्र: 2 देखें)

चित्र: 2

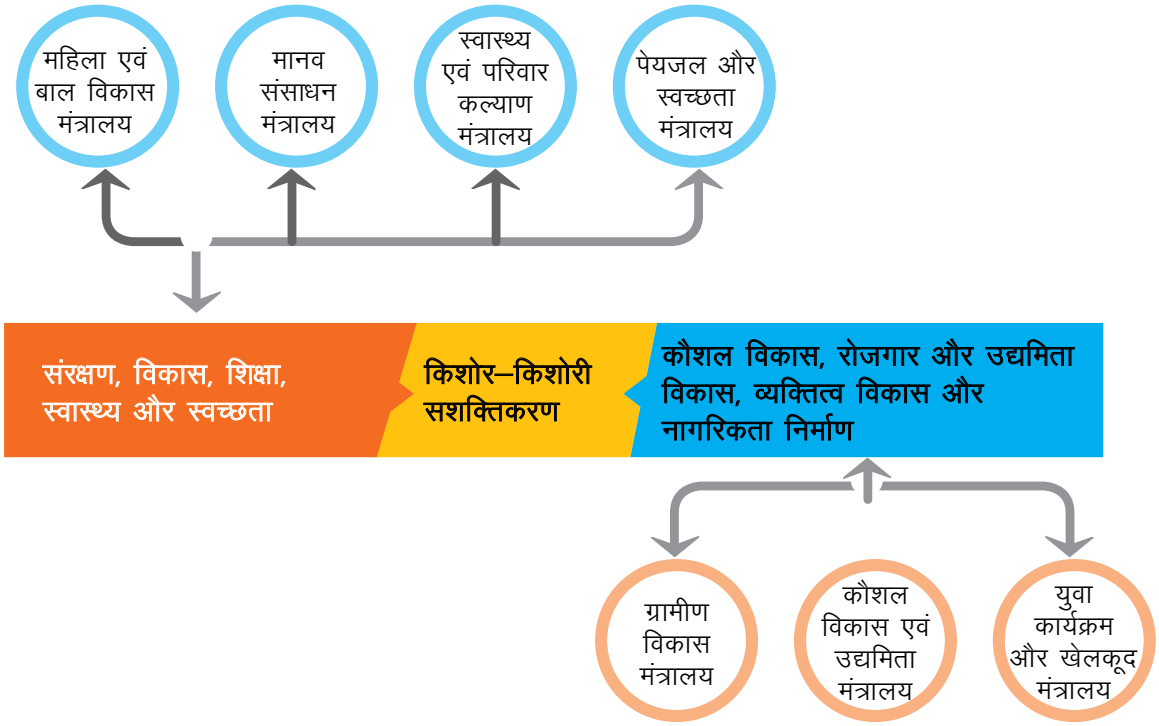

नीचे दी गयी तालिका मुख्य हितधारकों और राष्ट्रीय, राज्य, जिले और नीचे के स्तरों पर अभिसरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं स्कीमों से जुड़े मंचों को दर्शाती है:

तालिका: 1

मंत्रालय	योजनाएं	मुख्य केन्द्रित मुद्दा
एम.डब्ल्यू.सी.डी. नए समाज की ओर Towards a new dawn एम.एच.आर.डी. Government of India Ministry of Human Resource Development	समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS), किशोर लड़कियों के लिए स्कीम (SAG), समेकित बाल संरक्षण स्कीम (ICPS), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP), महिला शक्ति केन्द्र (MSK), समग्र शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन (MDM), शिक्षा हेतु जिला एकीकृत सूचना तंत्र (U-DISE), माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण स्कीम	किशोरावस्था पोषण, संरक्षण, शिक्षा, जीवन कौशल निर्माण और लैंगिक समानता
एम.एच.एफ.डब्ल्यू. Ministry of Health & Family Welfare Government of India	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK), एनीमिया मुक्त भारत (AMB), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	किशोर–किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य
एम.डी.डब्ल्यू.एस. Ministry of Drinking Water and Sanitation, Govt. of India	स्वच्छ भारत मिशन (SBM), और पेयजल और साफ सफाई (WASH)	
एम.एस.डी.ई.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता विकास, व्यक्तित्व विकास और नागरिकता निर्माण
एम.वाई.ए.एस Ministry of Youth affairs and Sports	राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (RKSK), राष्ट्रीय सेवा स्कीम (NSS), नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYSK), राजीव गांधी नेशनल इंस्टीटयूट फॉर यूथ डेवेलपमेंट (RGNIYD), भारत स्काऊट एंड गाइड (BSG)	
एम.आर.डी.	दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (DAY-NRLM)	

चित्रः 3

किशोर-किशोरी सशक्तिकरण और बाल विवाह की समाप्ति के लिए साझेदारियां

प्रभावी व्यक्ति, विचारक, मशहूर हस्तियां, मीडिया

प्राईवेट सेक्टर

शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संस्थाएं, जिसमें डेवेलपमेंट पार्टनर भी शामिल हैं

स्वयंसेवी और सामुदायिक समूह

चित्रः 4

बाल विवाह समाप्ति और किशोर सशक्तिकरण के लिए कार्यवाई की निरंतरता

बाल विवाह की समाप्ति एवं किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के हितधारक और मुख्य भूमिकाएं

मुख्य कार्य

किशोर–किशोरी सशक्तिकरण और बाल विवाह की समाप्ति की अत्यावश्यकता निर्धारित करें

- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय मंचो में किशोर–किशोरी के अधिकारों, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय, राज्य तथा समुदाय स्तर के आयोजनों में बाल विवाह की समाप्ति के लिए कार्यवाही की घोषणा।
- राष्ट्रीय युवा दिवस और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को राष्ट्रीय, राज्य और जिले स्तर पर लोकप्रिय बनाना।
- बाल विवाह की समाप्ति एवं किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के मुद्दों पर संवाद शुरू करने के लिए प्रभावी व्यक्तियों को मनोनीत करना।
- चुने हुए प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थानों से अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना।

राष्ट्रीय स्तर

महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय।

राज्य स्तर

महिला एवं बाल विकास विभाग (DWCD) अन्य संबंधित विभाग और विकास में साझेदार।

जिला स्तर

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (ICDS), जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (CHMO) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) और सामाजिक संस्थाएं (CSOs)

मुख्य कार्य

बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सही संदेश देने हेतु सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन का सतत् प्रयास

- संचार पैकेज तैयार करें और उसे अनुकूल बनायें।
- सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार पर क्रियान्वयनकर्ता, सेवा प्रदाता तथा प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें।
- बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरी के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक समान और उपयोगकर्ता–अनुकूल संदेश बनायें।
- सभी मंचों पर संदेशों को मजबूत करना और नियमित फॉलो–अप करना।

राष्ट्रीय स्तर

महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

राज्य स्तर

महिला एवं बाल विकास विभाग, अन्य संबंधित विभाग और विकास में साझेदार।

जिला स्तर

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPOs), जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) ICDS, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (CHMO), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) और सामाजिक संस्थाएं (CSOs)

मुख्य कार्य

यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न मीडिया मंच उपयुक्त तथा सुसंगत तरीके से इस्तेमाल किए जाएं

- रेडियो और टेलीविजन पर जनहित में जारी बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के विज्ञापनों/और संदेशों के अनिवार्य प्रसारण के लिए निश्चित एयर–टाइम निर्धारित करना।
- स्थानीय मीडिया सहित सभी मीडिया पर बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरियों के मुद्दों पर सर्वोच्च कवरेज (आच्छादन) करना।
- वस्तुनिष्ठ एवं संवेदनशील रिपोर्टिंग।

राष्ट्रीय स्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अन्य संबंधित मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।

राज्य स्तर

महिला एवं बाल विकास विभाग, अन्य संबंधित विभाग और राज्य मीडिया संस्थान और पत्रकार संघ/निकाय।

जिला स्तर

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, जिला सूचना अधिकारी और स्थानीय मीडिया।

मुख्य कार्य

निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को संगठित करें

- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर साझेदारी और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.)–नीत परियोजनाओं के जरिये किशोर–किशोरी सशक्तिकरण में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को शामिल करें।
- किशोर–किशोरियों के अधिकारों को बढ़ावा देने, और उनको शिक्षा, जीवन कौशल विकास और कौशल निर्माण के अवसर प्रदान करने के लिए सामाजिक संस्थाओं (सी.एस.ओ.) के साथ सहभागिता के अवसर का उपयोग करें।

राष्ट्रीय स्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अन्य संबंधित मंत्रालय तथा कार्पोरेट जगत, राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संगठन और संस्थान।

राज्य स्तर

महिला एवं बाल विकास विभाग, अन्य संबंधित विभाग, राज्य में उपस्थिति वाले कार्पोरेट्स और सामाजिक संस्थाएं।

जिला स्तर

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, जिला सामाजिक संस्थाएं।

चित्रः 5

फोरम

किशोर–किशोरी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर इस्तेमाल किए जाने योग्य फोरमों में शामिल हैं

व्यक्तिगत

सत्र और संवाद जिनके द्वारा संचालित होगा

प्रभावशाली लोग

स्थानीय नेता, धार्मिक नेता, सामाजिक–सांस्कृतिक नेता और पंचायत प्रतिनिधि

प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता

स्वच्छताग्राही, महिला पर्यवेक्षिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, ए.एन.एम., आशा, शिक्षक

विद्यालय

विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय में बच्चों की बाल संसद और समिति

समुदाय

समुदाय आधारित कार्यक्रम (CBE), ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND), ग्राम बाल संरक्षण समिति, किशोरावस्था स्वास्थ्य दिवस (AHD), एन.एस.एस., नेहरू युवा केन्द्र संगठन, स्काऊट एंड गाइड, कोऑपरेटिव, सामुदायिक मीडिया जैसे नुक्कड़ नाटक, लोक कला, ड्रामा, नृत्य और कथा वाचन।

सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC)

3

बाल विवाह को समाप्त करने की सामाजिक और राजनैतिक इच्छा शक्ति इस समय पहले से बहुत अधिक है। इसलिए जरूरी है कि बाल विवाह समाप्ति के उद्देश्य को किशोर–किशोरी के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों से जोड़ा जाये जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, रोजगार, और हिंसा एवं भेदभाव से मुक्ति। ऐसा करने के लिए किशोर–किशोरियों के मुद्दों को कार्यक्रम एजेंडा, नियोजन और बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना होगा।

अनेक सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक कारक जैसे सामाजिक मापदण्ड, बाल विवाह को जारी रखे हुए है। इन अंतर्निहित कारकों को संबोधित करना ही होगा। इसके साथ ही साथ परिवारों और समुदायों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए सक्षम बनाना; किशोर–किशोरियों को सशक्त बनाना ताकि वे अपने चुने हुए रास्ते पर चल सकें और सेवा प्रदायगी तंत्र को सुदृढ़ बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार बाल विवाह से संघर्ष करने तथा किशोर–किशोरियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बदलाव व्यक्तिगत, पारिवारिक, समुदाय तथा सेवा–प्रदायी तंत्र के स्तर पर आवश्यक है।

ऐसे दृष्टिकोणों और आदतों को बदलने और जानकारी तथा कौशल बढ़ाने के लिए संवादात्मक एस.बी.सी.सी. पद्धति और मिश्रित संचार माध्यमों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिससे सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने तथा सतत् जारी रखने के लिए प्रेरित किया जाए। सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के द्वारा व्यक्तियों और समूहों को सहभागी प्रक्रियाओं में शामिल करके उपयुक्त जानकारी और प्रेरणा दी जा सकती है जिससे उसकी आवश्यकताएं स्पष्ट हों। उनके अधिकारों की मांग हो ताकि व्यापक स्तर पर बदलाव आए जिसमें सामाजिक मापदण्ड और संरचनात्मक विषमता भी शामिल हों। बाल विवाह का अंत करने के लिए इस तरह के बड़े पैमाने पर बदलाव लाना अनिवार्य है। इसलिए यूनिसेफ सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार पर जोर दे रहा है ताकि किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के बदलाव को तीव्र किया जा सके।

व्यवहार परिवर्तन संचार का सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल (SEM)

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए यूनिसेफ ने एक सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल अपनाया है। सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल हर स्तर के किशोर–किशोरी को प्रभावित करते हैं जिसके फलस्वरुप उनमें सकारात्मक बदलाव आता

© UNICEF

है। इस प्रकार से यह व्यक्तिगत स्तर पर किशोर–किशोरी, अंतर्वैयक्तिक स्तर या माइक्रो स्तर पर परिवार तथा मित्र, मेसो स्तर पर समुदाय, एक्सो स्तर पर प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता तथा संगठन और मैक्रो स्तर पर नीति एवं कार्यक्रम लक्षित करता हैं। इन प्रत्येक स्तरों के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन रणनीतियों को प्रभावित करने वालों को दी गई भूमिका और जुड़ाव के अनुसार अनुकूलित की गई हैं। (नीचे दिए गए चित्रः 6 को देखें)।

चित्रः 6

किशोर–किशोरी और उन पर प्रभाव डालने वाले

सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल के आधार पर समुदाय में सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार की तीन स्तरों पर जरूरत हैः

- किशोर–किशोरियों के साथ हम–उम्र साथियों का संवाद
- परिवारों के साथ अंतर–पीढ़ी संवाद
- समुदाय के प्रभावशाली लोगों को लामबंद करना

इसके अतिरिक्त को नीति और कार्यक्रम स्तर पर पैरवी और क्षेत्र निर्माण की आवश्यकता है

उद्देश्य यह है कि किशोर–किशोरी इन व्यवहारों को अपनाए जिससे कि वे बाल विवाह कि लिए मना करने में सक्षम हों और विकल्पों का खुद चयन करें।

चित्रः 7

सभी किशोर किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा प्राप्त हो

स्वास्थ्य और पोषण

किशोरावस्था गर्भावस्था

किशोरावस्था में गर्भधारण की रोकथाम के लिए

- ऐसे गर्भनिरोधक साधनों के बारे में जानकारी रखें जिससे गर्भधारण से बचा जा सकता है
- विवाह के बाद पहले गर्भधारण में देरी की सकारात्मक सोच रखें।
- विवाहित दम्पति कम उम्र में गर्भधारण के दुष्परिणामों की जानकारी रखें।
- विवाहित दंपति स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सेवाएं लेते हैं

किशोरावस्था एनीमिया

अनीमिया से बचाव के लिए पोषणयुक्त आहार पाने का प्रयास करना

- पर्याप्त आहार एवं आहार की विभिन्नता के महत्व को जानना
- साप्ताहिक ब्लू आयरन तथा फॉलिक एसिड की सम्पूरक खुराक तथा वर्ष में दो बार कृमि नाशक खुराक के बारे में जाने जिससे अनीमिया से बचाव होगा।
- विवाहित किशोरियां–गर्भवती और धात्री माताएं पर्याप्त विविधतापूर्ण आहार लें तथा सूक्ष्म पोषक तत्व (आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम, कृमि नाशक), की खुराक लें और आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें।
- स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्राप्त करें।

स्वच्छता

माहवारी में स्वच्छता प्रबंधन

माहवारी का प्रबंधन

- माहवारी के दौरान स्वच्छता के महत्व को जानें
- माहवारी के बारे में निसंकोच बात करें तथा चर्चा करें
- माहवारी के प्रबंधन के लिए स्वच्छ उत्पाद अपनाने तथा निजी स्थान के लिए मांग करें
- पर्यावरण अनुकूल तरीके से माहवारी में इस्तेमाल कपड़े/पैड के निस्तारण के बारे में जानें
- लैंगिक भेदभाव, असमानता और बहिष्कार को समर्थन देने वाली भ्रांतियों तथा गलत धारणाओं को जाने।
- यह माने कि माहवारी के दौरान लड़की के कहीं आने–जाने और आहार पर पाबंदी लगाना गलत है
- माहवारी के दौरान मानसिक असहजता, दर्द, शारीरिक तकलीफ के बारे में किसी प्रशिक्षित व्यक्ति जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता या ए.एन.एम. से चर्चा करें ताकि उसका कोई समाधान निकले।

शिक्षा एवं कौशल विकास

शिक्षा और कौशल तक पहुंच

पढ़ाई जारी रखने और पूरी करने के लिए बात करना

- लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में परिवार जानते हैं, स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं
- सभी किशोर लड़कियां गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा पूरी करती हैं
- यह जाने कि अपने पांव पर खड़े होने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा जरूरी है।
- स्कूल में तथा स्कूल आते जाते समय उत्पीड़न में कमी आए।
- अपनी पसंद और अपने जीवन की आकांक्षा को जाने और व्यक्त करें।
- कौशल विकास के महत्व को जाने और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच बनाये रखें।

अधिकारों का संरक्षण

बाल विवाह की समाप्ति

बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए

- माता–पिता लड़के और लड़कियों को सुरक्षा देते हैं और बराबर की जरूरतों, अधिकारों एवं हकों की पूर्ति करते हैं।
- सभी किशोर–किशोरी, उनके माता–पिता और समुदाय के सदस्यों को बाल विवाह के दृष्परिणामों की जानकारी है खास तौर से लड़कियों के बारे में
- विवाह की कानूनी उम्र, बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानों, संबंधित अधिनियमों/कानूनो की जानकारी रखें।
- विभिन्न संरक्षण स्कीमों (बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ; महिला सुरक्षा कार्यक्रम; राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम; किशोरियों के लिए स्कीम) के बारे में जानें, जो लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने में मददगार है।
- बाल विवाह के दुष्परिणामों को तथा इसे रोकने में अपनी भूमिका को जाने।
- चोट/हिंसा (जिसमें लिंग के आधार पर की जाने वाली हिंसा शामिल है) को जाने और इसकी रोकथाम करें।

व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के लिए तारुण्य पैकेज

किशोर–किशोरियों के रणनीतिक सशक्तिकरण के लिए *तारुण्य* पैकेज में सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार सामग्री और संसाधन है। प्रयोगकर्ताओं तथा कार्यक्रम क्रियान्वयनकर्ताओं को अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन में मदद देने के उद्देश्य से यह पैकेज तैयार किया गया है। प्रयोगकर्ताओं को इसके द्वारा किशोर–किशोरियों के व्यवहारों के सम्बंध में, हम–उम्र साथियों, अंतर पीढ़ी तथा सामुदायिक संवाद की पहल करने के लिए, अनेक प्रकार के सामग्री उपलब्ध होगी।

चित्र: 8

प्राथमिक समूह
वे लोग जिनमें वांछित बदलाव की आवश्यकता हैं।

- 10 से 19 वर्ष के किशोर–किशोरी
- माता–पिता और परिवार (चाचा, चाची, बड़े भाई बहन आदि)

द्वितीयक समूह
वे लोग जो प्राथमिक प्रतिभागियों को प्रभावित करते हैं।

- शिक्षक
- प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता (आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम.)
- सामुदायिक नेता, जाति के नेता
- धार्मिक नेता, पंचायत प्रतिनिधि
- स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, दुग्ध और डेरी फेडरेशन
- सामुदायिक ढांचा, ग्राम सभा
- बाल संरक्षण समितियां

तृतीयक समूह
वे लोग जो किशोर–किशोरी के लिए सामुदायिक स्थितियां तथा सामाजिक वातावरण को सहायक बनाते हैं।

- जिला स्तर पर डी.एम., सी.एम.पी.ओ., जिला बाल संरक्षण समिति, पुलिस, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद, मीडिया, समुदाय आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थाएं
- राज्य स्तरीय विभाग–शिक्षा, डी.डब्ल्यू.सी.डी., युवा मामले, मीडिया, मुख्यमंत्री, एम.एल.ए., पुलिस, एम.पी., विशेष व्यक्ति, धार्मिक निकाय, संगठन

चित्र: 9

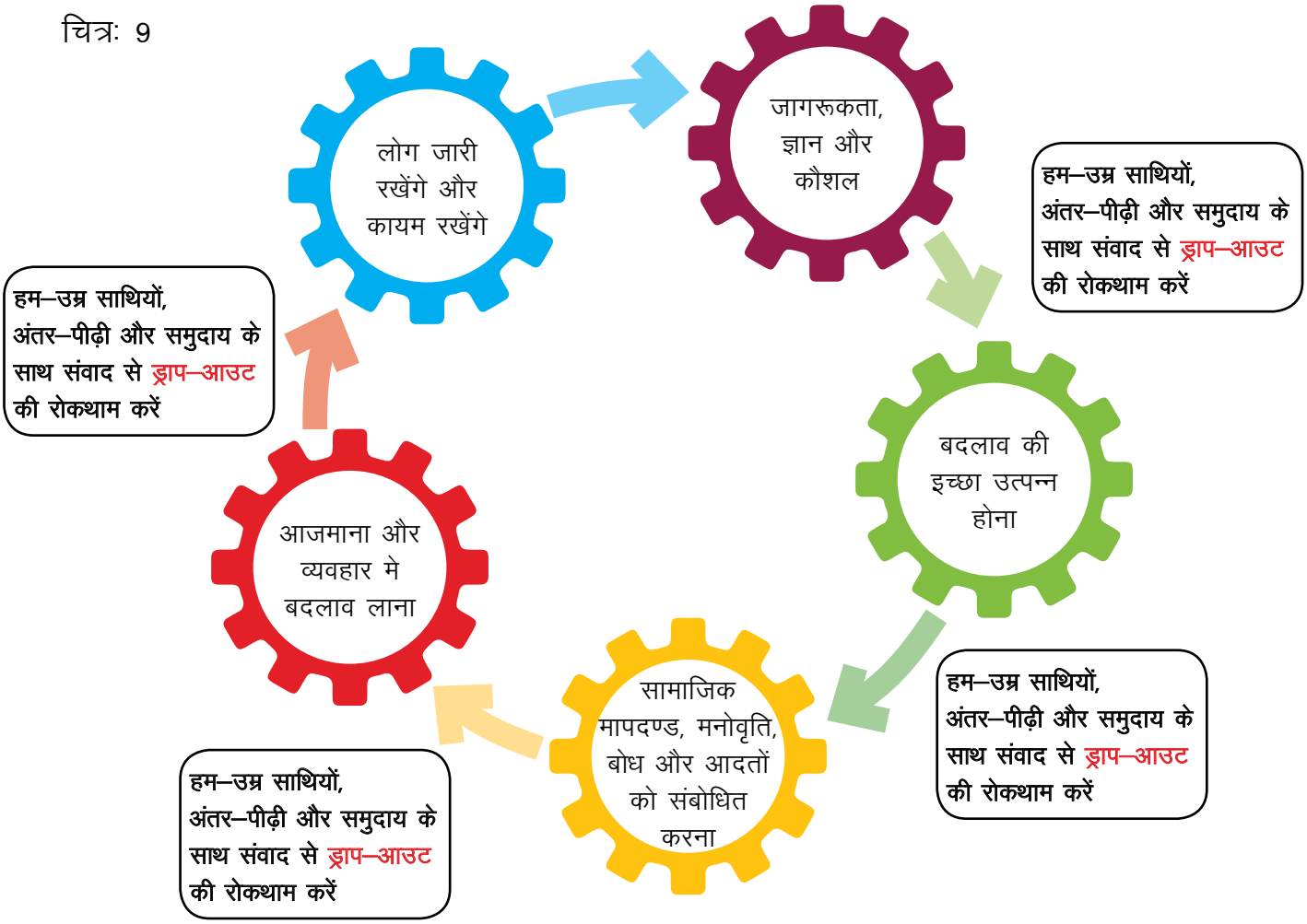

चित्रः 10

1. सार्वजनिक राय निर्मित करना और ज्ञान तथा जागरूकता बढ़ाना

प्राथमिक समूह (माता–पिता, किशोर–किशोरी तथा उनका वृहद् परिवार)

- यह समझें कि लड़के और लड़कियों की जरुरतें, अधिकार और हक समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- बाल विवाह के दुष्परिणामों और खास तौर से लड़कियों पर पड़ने वाले दुष्परिणाम के बारे में जानें।
- विवाह की कानूनी उम्र और बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानों या अन्य संबंधित अधिनियमों या कानूनों के बारे मे जानें।
- शिक्षा के महत्व और फायदों को जाने।
- विभिन्न सामाजिक संरक्षण स्कीमों (बीबीबीपी, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किशोरियों के लिए स्कीम आदि) के बारे में जानें जिससे लड़कियों की शिक्षा जारी रखने, विवाह में देरी करने, उन्हें अपनी आकांक्षा को पहचानने के लिए सक्षम बनाने तथा स्वावलंबी तथा सशक्त बनाने में सहायता मिलती है।

द्वितीयक समूह

- प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता जैसे आशा, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बाल विवाह से होने वाले नुकसानों की जानकारी है, खासतौर से लड़कियों के लिए और उन्हें बाल विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों और इसकी रोकथाम में अपनी भूमिका की जानकारी है।
- आम जनता/समुदाय के प्रभावी लोगों/जाति के नेताओं/धार्मिक नेताओं/पंचायत प्रतिनिधियों/स्वयं सहायता समूहों/किशोरी समूहों को यह जानकारी है कि बाल विवाह के क्या दुष्परिणाम हैं खास तौर से लड़कियों के लिए और वे बाल विवाह की रोकथाम कैसे कर सकते हैं।
- समुदाय के प्रभावी लोग/नेता बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को सामाजिक बुराई समझते हैं और इसे समाप्त करने में अपनी भूमिका को जानते हैं।
- किशोर–किशोरियों (खासकर किशोरियों) के स्कूल छोड़ने और बाल विवाह की रोकथाम के लिए शिक्षक अपनी भूमिका के बारे में जागरूक हैं।

तृतीयक समूह

- मीडिया बाल विवाह से जुड़े मुद्दे और उन पर की जा रही पहल के बारे में संवेदित और जागरूक है और इसके बारे में रिर्पोटिंग में अपनी भूमिका को पहचानती है।
- पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला बाल संरक्षण समिति बाल विवाह के बारे में कानूनी प्रावधानों तथा इसकी रोकथाम में अपनी भूमिका को जानती है।
- नीतिनिर्धारक/क्रियान्वयन करने वाले बाल विवाह से जुड़े मुख्य क्षेत्रों/मुद्दों को जानते हैं जिसमें स्कूल, कार्य कौशल और रोजगारपरक विकल्प शामिल है जिससे किशोर–किशोरियों की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदला जा सके।
- संगठन और व्यक्तिगत रूप से प्रभाव डालने वाले– स्थानीय विशिष्ट लोगों, रेडियो संचालन करने वाले लोगों को बाल विवाह की रोकथाम के बारे में बातचीत करने और किशोर–किशोरियों की आकांक्षाओं को समर्थन देने की जानकारी है ताकि किशोर–किशोरियों की काबिलियत को बढ़ाया जा सके।

2. सामाजिक मापदण्डों, मनोवृत्ति, बोध और आदतों को संबोधित करना

प्राथमिक समूह

- लड़कियों के अधिकारों एवं हकों के प्रति सकारात्मक रवैया, खासकर किशारियों के लिए।
- किशोरियों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक रवैया और लड़कियों को स्वावलंबी बनने तथा आर्थिक रूप से सशक्त होने और बाल विवाह में देरी करने का विकल्प देना।
- बाल विवाह के प्रति नकारात्मक सोच।
- किशोर–किशोरियों की शिक्षा, स्कूल के आगे कार्य करने के कौशल विकसित करने और रोजगार के लिए सहायता देने वाली सरकारी सामाजिक सरंक्षण स्कीमों की जानकारी प्राप्त करने तथा इन स्कीमों का लाभ उठाने की चाहत।

द्वितीयक समूह

- प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा ए.एन.एम. एवं बाल सरंक्षण समिति, बाल विवाह की रोकथाम के लिए सक्रियता से कदम उठाने के इच्छुक हैं।
- स्वयं सहायता समूह और किशोरी समूह संगठित है और इतने सशक्त हैं कि बाल अधिकारों के उल्लंघन और विशेष रूप से बाल विवाह की निगरानी कर सकें और उनका समाधान निकाल सकें।
- सामान्य नागरिक/समुदाय के प्रभावी लोग/जाति के अगुआ/धार्मिक नेता/पंचायत प्रतिनिधि बाल विवाह तथा दहेज प्रथा जैसे मुद्दों पर सक्रिय रूप से कदम उठाने के लिए इच्छुक हैं।
- किशोर–किशोरियों का स्कूल में नामांकन तथा शिक्षा जारी रखने और बाल विवाह की रोकथाम के लिए शिक्षक सक्रिय रुप से कदम उठाने के लिए इच्छुक हैं।

तृतीयक समूह

- पुलिस बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला बाल संरक्षण समिति बाल विवाह की रोकथाम के लिए निषेध/निरोध लागू करने तथा कानूनों का पालन करने की गतिविधियां करने के लिए तैयार हैं।
- मीडिया मुद्दे के महत्व को जानती है और बाल विवाह से जुड़ी खबरों की रिर्पोटिंग में अधिक रुचि दिखाती है।
- नीति निर्धारक/क्रियान्वयन करने वाले, किशोर–किशोरी के मुद्दे जिसमें बाल विवाह भी शामिल है, की समीक्षा के लिए चर्चा करने और सार्वजनिक परिचर्चा में सक्रियता से हिस्सा लेते है।
- अन्य प्रभाव डालने वाले व्यक्ति जिसमें सेलिब्रिटी पंचायत सदस्य, युवा नेता आदि शामिल हैं, भागीदार रहते हैं और शुरू में विरोध का सामना करने के बावजूद हानिकारक मापदण्डों के ख़िलाफ़ प्रश्न चिन्ह खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं।

3. अभ्यास/व्यवहार कायम रखना

प्राथमिक समूह

माता–पिता तथा वृहद् परिवार यह सुनिश्चित करते हैं कि लड़के और लड़कियों को देखरेख और अवसर मिले ताकि उनकी पूरी क्षमता विकसित हो सके।

लड़के और लड़कियां अपनी शिक्षा जारी रखें और अपनी तथा अपने हम–उम्र साथियों/सहेलियों के विवाह का सक्रियता से विरोध करें।

माता–पिता और परिवार बाल विवाह के विरूद्ध सक्रिय रूप से कदम उठाते हैं तथा किशोर–किशोरियों (खासकर किशोरियों) को स्कूल जाने और कोई विकल्प चुनने में मदद देते हैं।

किशोर–किशोरी की शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए माता–पिता, सामाजिक संरक्षण स्कीमों का अधिक प्रयोग करते हैं।

आम जनता/समुदाय के प्रभावी लोग/जाति के अगुआ/धार्मिक नेता/पंचायत सदस्य, बाल विवाह को रोकने तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाते हैं।

द्वितीयक समूह

प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता जैसे– आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., बाल संरक्षण समिति, बाल विवाह को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाते हैं

स्वयं सहायता समूह और किशोरी समूह संगठित है और इतने सशक्त हैं कि बाल अधिकारों के उल्लंघन और विशेष रूप से बाल विवाह की निगरानी कर सकें और उनका समाधान निकाल सकें।

किशोर–किशोरियों (खास कर किशोरियों) के नामांकन और शिक्षा जारी रखने और स्वावलंबी तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनने की उनकी आकांक्षाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक सक्रिय रूप से कदम उठाते हैं

तृतीयक समूह

पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी और जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्य बाल विवाह की रोकथाम के लिए सक्रियता से गतिविधियां आयोजित करने के लिए कदम उठाते हैं।

नीति–निर्धारक तथा क्रियान्वयन करने वाले लोग बाल विवाह संबंधित कानूनों में आवश्यकता अनुसार सुधार करते है और उनका सख्ती से पालन करते है।

बाल विवाह की रोकथाम या समाप्ति के कारणों को मीडिया अधिक बढ़ावा देती है तथा मुद्दे को महत्व देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाती है और रिर्पोटिंग करती है।

तारुण्य पैकेज - सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार का एक शक्तिशाली साधन

4

आऊटरीच गतिविधियों का सुगमीकरण और अनेक स्तरों को शामिल करना

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार में सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल शामिल करने से प्रयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन करने के लिए किस तरह बहुस्तरीय संवाद की पहल करने तथा उसे कायम रखने की आवश्यकता है। यह बाल विवाह पर विभिन्न सामग्रियों का केवल संकलन मात्र ही नहीं है बल्कि एक रणनीतिक संसाधन है जो बहु–माध्यम संचार के द्वारा किशोर–किशोरियों के जीवन में दीर्घकालीन बदलाव लाएगा। पैकेज की विषय–वस्तु नीचे दिए गए लक्षित समूहों के साथ सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार करने पर केन्द्रित है:

- **किशोर–किशोरियों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर हम–उम्र साथियों के द्वारा:** हम–उम्र साथियों द्वारा संवाद के जरिए किशोर–किशोरियों से सीधे बातचीत की जा सकती है जिससे उन्हें जागरूक किया जा सकता है और उनके ज्ञान तथा कौशल को निखारा जा सकता है, ऐसा करने से किशोर–किशोरियों की जानी–अनजानी जरूरतों, उनकी चिंताओं और समस्याओं, तथा उनकी आकांक्षाओं और सपनों को उजागर करने में मदद मिलती है। अपने हम–उम्र साथी के साथ संवाद का मंच मिलने पर उन्हें अपनी समस्या खुलकर बताने, विचारों का आदान–प्रदान करने तथा एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है, और वे रचनात्मक समाधान निकाल पाते हैं।
- **परिवारों तथा संबंधियों के साथ अंतर–पीढ़ी संवाद के जरिए संचार:** किशोर–किशोरियों के अधिकारों तथा आकांक्षाओं के बारे में, परिवारों, रिश्तेदारों के साथ संवाद जरूरी है। ऐसा करने से उनकी सोच में बदलाव आएगा जिससे किशोर–किशोरियों को परिवार में एक सहयोगी वातावरण मिलेगा। परिवारों को मंच पर लाने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किशोर–किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े अधिकार उन्हें प्राप्त हो सकें। उन्हें जल्दी शादी करने के लिए दबाव न दिया जाए ताकि वे अपने चुने हुए मार्ग पर चल सकें और उनकी एक पहचान बने। जानकार और सशक्त परिवार प्रचलित मापदण्डों के विरूद्ध जा सकते हैं और सामाजिक दबाव की परवाह न करते हुए वह ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जो उनके बच्चों के लिए उपयुक्त हो।
- **सामाजिक लामबंदी के द्वारा सामुदायिक संवाद:** सामाजिक मापदण्डों और असमानता वाले सामाजिक ढांचे में बदलाव तभी लाया जा सकता है जब समुदाय सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हो। समुदाय के साथ संवाद आवश्यक है ताकि वह यह जान सके कि बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव की प्रचलित प्रथाएं बच्चों का बचपन नष्ट कर रही हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। एक बार जब वे बाल विवाह को नकार देंगे तब बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव होगा। किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के एक सहयोगी वातावरण बनाने के लिए सहायक तंत्र बनाने में उनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पैकेज की सामग्री

इस पैकेज में 50 से अधिक सामग्री शामिल है जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर, समूह स्तर पर तथा जनसंचार के लिए छपने वाले (PRINT), ऑडियो (AUDIO), ऑडियो विजुअल दृश्य (AUDIO VISUAL), सामग्री शामिल है। इन सामग्रियों को भारत सरकार, जैसे पी.एच.एफ.आई. (PHFI), आई.सी.आर. डब्लयू (ICRW), ब्रेक थ्रू (BREAKTHROUGH) आदि जैसी संस्थाएं जो किशोर–किशोरियों के मुद्दों पर कार्य कर रहें हैं, यूनिसेफ और राज्य सरकारों ने विकसित किया है। प्रयोगकर्ता अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्र तथा राज्य स्तर पर विकसित सामग्री का अनुकूलन कर सकते हैं।

सामग्रियों को समझने में आसानी के लिए, पैकेज की सामग्रियों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:

चित्रः 11

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विकसित सामग्रियों को लक्ष्य समूहों की विशिष्ट संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

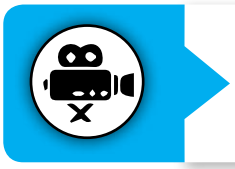

माध्यम का प्रकारः प्रिंट, ऑडियो, ऑडियो–वीडियो।

सामग्री के प्रकारः रणनीति दस्तावेज, मार्गदर्शक टिप्पणियां, टूल–किट, फ्लिप बुक, पोस्टर, बैनर, लीफलेट, रेडियो स्पॉट, पब्लिक सर्विस एनाऊंसमेन्ट (PSA) इत्यादि।

विषयः बाल विवाह की रोकथाम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और किशोर–किशोरी सशक्तिकरण अलग–अलग या इनमें से किसी के साथ मिश्रित रूप में।

उपयोग कब करेंः हम–उम्र साथियों के साथ, अंतर–पीढ़ी, समुदाय के साथ संवाद और सामाजिक लामबन्दी या इनको सम्मिलित करके।

लक्षित समूहः किशोर–किशोरी, माता–पिता, समुदाय, प्रभावी व्यक्ति तथा प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता।

प्रयोगकर्ताः सरकारी पदाधिकारी, विकास में साझेदार, सामाजिक संस्थाएं तथा प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता।

प्रयोगकर्ताओं के लिए टिप्पणी

प्रयोगकर्ताओं को पैकेज की सामग्रियों को अलग–अलग नहीं देखना चाहिए बल्कि एक पैकेज के रूप में देखना चाहिए जिन्हें अलग–अलग दर्शकों/श्रोताओं के लिए अलग–अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह किसी एक मुद्दे को प्रभावी तरीके से संबोधित करने के लिए सामग्रियों तथा विधियों को संयोजित तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। पैकेज में कई उपकरण ऐसे हैं जो प्रयोगकर्ता के यह समझने के लिए बनाए गए है कि किशोर–किशोरियों से जुड़े हुए मुद्दों की अवधारणा क्या है और उनके साथ किस प्रकार कार्य किया जाए। यह उपकरण प्रयोगकर्ताओं के ज्ञान और क्षमतावर्द्धन के लिए हैं और किसी विशेष लक्ष्य समूह के साथ प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे। पैकेज का इस्तेमाल करते हुए प्रयोगकर्ता नीचे दिए गए 'क्या करें' और 'क्या न करें' का संदर्भ ले सकते हैं:

क्या ✓ करें

- अच्छी तरह से योजना बनाएं और एसबीसीसी के लिए एक रणनीतिक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं
- परिवर्तन में तेजी लाने की रणनीतियों को समझें और उनके साथ अपने एसबीसीसी हस्तक्षेपों का तलमेल बनाएं
- वैचारिक स्पष्टता, ज्ञान और कौशल को मजबूत करने के लिए टूलकिट को अच्छी तरह से पढ़ें
- किस सामग्री का कैसे, कब, किसके साथ और किस उद्देश्य के साथ उपयोग किया जाना चाहिए यह जानने के लिए क्रियान्वयन दिशा–निर्देशिका का उपयोग करें
- जहां तक संभव हो नई सामग्री को अपनाने के बजाय पहले की सामग्री को सुधार कर अपनाएं
- सत्रों को प्रभावी और परिणामकारक बनाने के लिए सामग्रियों का सम्मिलित प्रयोग करें
- सुनिश्चित करें कि साझेदारी के माध्यम से प्रमुख संदेश सभी प्लेटफार्मों पर बार–बार संचारित किए जाते रहें।
- क्षमता निर्माण, परामर्श और हैंडहोल्डिंग के लिए साझेदार गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/सामाजिक संगठनों को सहयोग दें
- उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एस.बी.सी.सी. हस्तक्षेपों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में यथार्थवादी बनें, अनेक गतिविधियां करने के बजाय कुछ चुनी हुई गतिविधियां अच्छी तरह से करें।

क्या X न करें

- अल्पकालिक, एक बार करने वाली गतिविधियों की योजना बनाना
- ऐसे हस्तक्षेपों को लें जो बदलाव में तेजी लाने की रणनीतियों के साथ तालमेल न रखते हों
- पैकेज के संदेशों तथा विषय–वस्तु को यह मानकर बदल दें कि अनुकूलन करना अच्छा है।
- प्रत्येक सामग्री का अकेले एक इकाई के रूप में उपयोग करना।
- अकेले कार्य करने की कोशिश करना।
- तब तक गैर सरकारी संस्थाओं या सामाजिक संस्थाओं को सीधे क्रियान्वयन में न लगाना जब तक वे सरकारी हस्तक्षेपों से सीधें जुड़े न हों या सहायता न कर रहे हों।

5

हम-उम्र साथियों के साथ संवाद

किशोर–किशोरियों का हम–उम्र साथियों के साथ संबंधित मुद्दों पर संवाद को सुगम बनाने के लिए *तारूण्य* पैकेज में कई सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार सामग्री उपलब्ध हैं।

उदाहरण के लिए जब किशोर–किशोरी कहते हैं उनके माता–पिता का मानना है कि शिक्षा लड़कों के लिए ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता है और यही सोच उनके समुदाय में सभी लोगों में है, तब ऐसे हालात में हम क्रियान्वयन करने वालों के लिए अंतर–पीढ़ी संवाद और सामुदायिक संवाद में शिक्षा तक समान पहुंच को स्थापित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर हस्तक्षेप करना जरूरी बन जाता है।

हम-उम्र साथियों के साथ संवाद के लिए सामग्री

पिछले भाग में, *तारूण्य* पैकेज में शामिल सभी सामग्रियों की विस्तृत सूची, उनके प्रयोग करने के तरीके के सुझावों के साथ दी गई है। संचार आवश्यकताओं और स्थानीय सन्दर्भ के अनुसार, प्रयोगकर्ता हम–उम्र साथियों के साथ संवाद के लिए सामग्री का चयन और अनुकूलन कर सकते हैं। वे किशोर–किशोरियों के साथ बातचीत के लिए एक या एक से अधिक या सामग्रियों के मिश्रण को चुन सकते हैं।

© UNICEF

चित्र: 12

हम–उम्र साथियों के संवाद के द्वारा संबोधित किए जाने वाले मुख्य मुद्दे

वर्तमान सोच	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा अधिकार और हक हैं।	लड़के और लड़कियों को समान अधिकार और हक है तथा लड़कियों को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अधिक मदद की आवश्यकता है।
लड़कों के लिए शिक्षा की अधिक प्राथमिकता है क्योंकि उन्हें आय कमा कर लाना करना पड़ता है।	शिक्षा लड़के और लड़कियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें सूचित चयन करने का मौका मिले क्योंकि दोनों को ही स्वयं को तथा अपने परिवार को मदद देने के लिए सक्षम होना चाहिए।
लड़कियां घर के कामों के लिए जिम्मेदार हैं।	लड़के और लड़की दोनों घर के कामों के लिए जिम्मेदार हैं।
समुदाय में लड़कियों के लिए शादी करना ही एक मात्र विकल्प है।	लड़कियां, लड़कों की तरह ही स्कूल में अच्छा परिणाम लाने तथा अच्छी कमाई करने में सक्षम हैं, अगर उन्हें अवसर दिया जाए तथा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए जीवन में प्रयास जारी रखें।
परिवार गरीब हैं और उनके पास लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए धन नहीं है	लड़कियों को शिक्षित करना एक निवेश है जो उनके जीवन को सुरक्षित बनाएगा। लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है।
बाल विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकृति प्राप्त है, यह सदियों से चली आ रही परम्परा है।	बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सदियों से चली आ रही थीं किन्तु अब नहीं होतीं जैसे– चिट्ठी–पत्री तथा टेलीग्राम के स्थान पर एस.एम. एस. और मोबाइल फोन का प्रयोग। वो लोग जो लड़के–लड़कियों को कानूनी उम्र से पहले ही विवाह करा देते हैं वे केवल एक अपराध ही नहीं करते बल्कि किशोर–किशोरियों को सशक्त तथा स्वावलम्बी बनने में बाधा पहुंचाते हैं। बाल विवाह का किशोरी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे शीघ्र गर्भधारण और प्रसव का जोखिम अधिक होता है और प्रसव के असफल होने की संभावना अधिक होती है। शीघ्र विवाह के कारण पढ़ाई छूट जाती है, हिंसा अधिक होती है, उन पर बंधन लगाए जाते है और एकांतवास में छोड़ दिया जाता है।
माता–पिता जानते हैं कि उनकी किशोरी लड़कियों और किशोर लड़कों के लिए क्या सर्वोत्तम है। अगर यह गलत भी है और किसी की इच्छा के विरूद्ध है तब भी माता–पिता के विरूद्ध जाना बहुत कठिन है।	ऐसी कई बातें हो सकती हैं जिसके बारे में माता–पिता को जानकारी न हो। माता–पिता किशोर–किशोरियों को सूचित चयन का विकल्प प्रदान करें। प्रभावी ढंग से बातचीत में सक्षम बनाने के लिए कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है।

इस अध्याय के एक भाग के रूप में, हम–उम्र साथियों के साथ संवाद के लिए कुछ चुनी हुई संचार सामग्रियों के प्रयोग का विवरण दिया गया है। इसके अन्तर्गत अम्मा जी कहती हैं फिल्म (एफ.एफ.एल.), आधाफुल ओम्नीबस, मीना रेडियो और फुल ऑन निकी शामिल हैं। यह सामग्रियां किशोरावस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों जिनमें बाल विवाह भी है, पर व्यापक रूप से समाधान प्रस्तुत करती है। ये सामग्री किशोर–किशोरियों के साथ प्रयोगकर्ता को, संवादात्मक तथा सहभागी तरीके से बातचीत करने का अवसर प्रदान करती है।

तारूण्य पैकेज का प्रयोग

सन्दर्भ	विषय जिन्हें संबोधित करना है	प्राथमिक समूह	आकार	स्थान	सामग्री जिनका प्रयोग करना है
जेन्डर रूढिबद्धता और मजबूत पितृसत्ता के बारे में किशोर–किशोरियों को सोचने के लिए तैयार करना।	लिंग सामाजीकरण और पितृसत्तात्मक रूढिबद्धता, नियामक मर्दानगी और विवाह की संस्था।	किशोर–किशोरी समूह	छोटे समूह या बड़े समूह– 15–25 बच्चों के।	बन्द कक्ष या पंचायत भवन बेहतर होगा।	फुल ऑन निक्की एपीसोड 3 से 6

सन्दर्भ	विषय जिन्हें संबोधित करना है	प्राथमिक समूह	आकार	स्थान	सामग्री जिनका प्रयोग करना है
बाल विवाह	बाल विवाह को समाप्त करना	किशोर–किशोरी समूह	छोटे समूहा या बड़े समूह (15 से 25 बच्चों तक के)	बन्द कक्षा/कक्ष बेहतर होगा।	आधा फुल ओम्नी बस कम उम्र में विवाह का एपीसोड फुल ऑन निक्की रेडियो एपीसोड–2

6

अंतर-पीढ़ी संवाद

किशोर–किशोरियों के जीवन के बारे में निर्णय लेने में माता–पिता तथा पूरे परिवार का प्राथमिक स्थान है। वे किशोर–किशोरियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए जिम्मेदार है। यद्यपि जब परिवार उन्हें सही देखभाल और संरक्षण नहीं दे पाता तब उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। अपने विश्वासों और आदतों या सामाजिक स्थितियों के कारण अगर परिवार बाल विवाह को अस्वीकार नहीं करता तो स्थिति पहले जैसी ही बनी रहती है। माता–पिता तथा किशोर–किशोरियों में पीढ़ी के अन्तर के कारण संवाद कम होता है, जिससे बाल विवाह, जेन्डर असमानता और अधिकारों के हनन के बारे में चुप्पी की संस्कृति विकसित हो जाती है। इस चुप्पी को तोड़ने के लिए अंतर–पीढ़ी संवाद बहुत जरूरी है। यह तभी होगा जब परिवार सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करें और किशोर–किशोरियों को विकसित होने और फलने–फूलने में मदद दें। इसलिए दोनों पीढ़ियों, किशोर–किशोरियों और उनके माता–पिता तथा वृहद परिवार के सदस्यों का संवेदीकरण और प्रशिक्षण समान रूप से महत्वपूर्ण है।

सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार में अंतर–पीढ़ी संवाद कई तरह से मदद करता है:

- किशोर–किशोरियों तथा वयस्कों के जीवन के बीच निर्भरता को पहचानने में।
- छोटे और बड़े किशोर–किशोरियों की आवश्यकताओं में अन्तर के कारकों को जानने में तथा यह महसूस करने में कि भिन्न–भिन्न वयस्क, किशोरावस्था के भिन्न–भिन्न अवस्थाओं में सहयोगी भूमिका निभाते हैं।
- खुले संवाद के द्वारा एक साझी समझ विकसित करने में तथा प्रत्येक पीढ़ी के विशिष्ट अनुभवों के प्रति सम्मान दर्शाने में।
- प्रक्रिया के प्रतिभागी तथा स्वामी के रूप में दोनों पीढ़ियों को बराबर महत्व देने में।

चित्र: 13

अंतर-पीढ़ी संवाद के माध्यम से वे मुख्य मुद्दे जिन्हें संबोधित किया जा सकता है।

प्रचलित भूमिका	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
लड़कियों की अपेक्षा लड़के के ज्यादा अधिकार और हक हैं।	लड़के और लड़कियों के समान अधिकार और हक हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए लड़कियों को अधिक मदद की जरूरत है।
लड़कों के लिए शिक्षा बड़ी प्राथमिकता है क्योंकि उन्हें कमा कर लाना पड़ता है।	लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा समान रूप से जरूरी है क्योंकि दोनों को स्वावलम्बी तथा सशक्त बनने एवं स्वयं को और अपने परिवार को मदद देने के लिए सक्षम बनना चाहिए।
लड़कियों को परिवार के घरेलू कार्यों में मदद देना चाहिए क्योंकि यही पत्नी के रूप में भविष्य की उनकी भूमिका में मददगार होगा।	लड़के और लड़कियों को पढ़ने और खेलने का बराबर समय मिलना चाहिए क्योंकि लड़कियों को अगर अवसर मिले तो वे भी उतनी ही सक्षम बन सकती हैं जितने लड़के हैं और स्कूल में अच्छा परिणाम ला सकती हैं और कमाई कर सकती हैं।
लड़कियों की जल्दी ही शादी हो जाएगी इसलिए उनकी शिक्षा में निवेश करके व्यर्थ में खर्च करना बेकार है।	एक शिक्षित लड़की एक स्वस्थ लड़की है जिसके पास स्वयं को तथा अपने परिवार को मदद देने के अधिक अवसर हैं।

वर्तनमान सोच	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
अगर माता–पिता के पास सीमित साधन हैं तो उन्हें लड़कों की शिक्षा में निवेश करना चाहिए क्योंकि उन्हें घर के बाहर नौकरी करनी है।	लड़के और लड़कियां, दोनों के लिए शिक्षा निःशुल्क है। इसके अलावा लड़कियों के लिए ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिससे जिन लड़कियों के परिवारों में संसाधन की कमी है वे भी अपनी लड़की की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित और प्रोत्साहित कर सकते हैं।
माता–पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तब लड़कियां उनकी सुरक्षा में कोई भूमिका नहीं निभातीं।	माता–पिता की यह जिम्मेदारी है कि लड़के और लड़कियों, दोनों के अधिकारों की पूर्ति हो। किशोर–किशोरी को केवल इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि वे बुढ़ापे में सुरक्षा बनें।
कुछ माता–पिता सोचते हैं कि शिक्षा मूल्यवान है किन्तु यह महसूस करते हैं लड़कियां अपनी शिक्षा का इस्तेमाल शायद नहीं कर पाएंगी या नौकरी प्राप्त नहीं कर पाएंगी।	पूरे विश्व में और भारत में, लड़कियां स्कूल और कॉलेज जाती हैं और अपनी तथा अपने परिवार की मदद नौकरी पाकर करती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूलों में पढ़ाई के अनेक विकासात्मक लाभ हैं जैसे पढ़ सकना, सरकारी योजनाओं के बारे में जानना, आवेदन पत्र भरना और ग्राम पंचायत में भागीदारी करना, इत्यादि।
बाल विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकृत माना जाता है– यह सदियों से चला आ रहा है।	बाल विवाह का किशोरी बालिका के ऊपर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे गर्भावस्था तथा प्रसव का जोखिम हो सकता है और नवजात और मातृत्व मृत्यु की सम्भावना बढ़ जाती है। विवाह के कारण पढ़ाई छूट जाती है, उन पर बंधन लगाए जाते है और एकाकीपन में छोड़ दिया जाता है। दुर्व्यवहार तथा हिंसा होती है।
जब लड़कियों में यौवनारम्भ (शारीरिक रूप से दिखता है) हो जाता है तो उसी समय उनका विवाह कर देना सर्वोत्तम है। परिवार के सम्मान को बचाने के लिए उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह करना आवश्यक है।	बाल विवाह का किशोरी बालिका के ऊपर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे गर्भावस्था तथा प्रसव का जोखिम हो सकता है और नवजात और मातृत्व मृत्यु की सम्भावना बढ़ जाती है। विवाह के कारण पढ़ाई छूट जाती है, उन पर बंधन लगाए जाते है और एकाकीपन में छोड़ दिया जाता है। दुर्व्यवहार तथा हिंसा होती है।
अगर विवाह में ज्यादा देर कर दी जाए तो लड़कियां, लड़कों के साथ भाग जाएंगी और परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी।	किशोर–किशोरियों के साथ बेहतर संवाद तथा घर पर एक देखभाल करने वाला प्यार भरा वातावरण, किशोर–किशोरियों को इस तरह के कदम (जैसे घर से भागना) उठाने से रोकेगा।
लड़कियों की जल्दी शादी करना कभी–कभी बचत करने के लिए उपयोगी और आवश्यक होता है। अगर अन्य कोई रस्म/विधि (जैसे किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद) की जा रही हो और उसी के साथ लड़की की शादी कर दी जाए।	शादी में कम खर्च का नतीजा यह होगा, कि उसकी बड़ी कीमत किशोरी को चुकानी पड़ेगी। लड़के और लड़कियों को शादी के लिए तैयार होने से पहले उनको विवाह की रस्म में बांधना एक अपराध है और उनको उन अवसरों से वंचित कर देता है जिनके द्वारा वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करके स्वावलम्बी और सशक्त बन सकते हैं।

प्रचलित भूमिका	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
कानून लागू नहीं होते– प्रतिबन्ध नहीं लगाए जाते और अगर किसी गरीब परिवार ने दहेज का भुगतान कर दिया है तो माता–पिता मदद के लिए गांव के नेताओं के पास जाएंगे या कानून लागू करने वालों के पास।	माता–पिता कानून से तो बच सकते हैं किन्तु जो नुकसान उन्होंने अपनी बेटी का किया है उस नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

अंतर–पीढ़ी संवाद के लिए सामग्री

हम–उम्र साथियों के संवाद के लिए इस्तेमाल होने वाली अनेक सामग्रियां जैसे अम्मा जी कहती हैं फिल्म (एफ.एफ. एल.), आधा फुल ओम्नीबस और फुल ऑन निक्की का इस्तेमाल अंतर–पीढ़ी संवाद में भी किया जा सकता है। वस्तुतः यह सलाह दी जाती है कि हम–उम्र साथियों और अंतर–पीढ़ी संवाद के लिए एक ही सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाए ताकि किशोर–किशोरियों तथा माता–पिता को समान संदेश मिलें और वह संदेश सुदृढ़ हों।

यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि मिश्रित समूह चर्चा हो जहां माता–पिता और किशोर–किशोरी एक दूसरे से बातचीत करें। अंतर–पीढ़ी संवाद के लिए सामग्रियों के मिश्रित प्रयोग का कुछ उदाहरण इस अध्याय के बाद वाले भाग में दिया गया है। इस भाग में अंतर–पीढ़ी संवाद के लिए राज्यों की विशिष्ट सामग्रियों का विवरण दिया गया है। इसके अन्तर्गत बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विकसित बाल विवाह समाप्त करने का पैकेज तथा बिहार सरकार द्वारा विकसित एक फ्लिप बुक शामिल है।

तारूण्य पैकेज का प्रयोग

सन्दर्भ	विषय जिन्हें संबोधित करना है	प्राथमिक समूह	आकार	स्थान	सामग्री जिनका प्रयोग करना है
लड़कियों का स्कूल छोड़ना और बाल विवाह।	शिक्षा का महत्व तथा बाल विवाह को समाप्त करना।	परिवार के सदस्य (माता–पिता और दादा–दादी)।	छोटा समूह (4–5 लोग)	छायादार और हवादार खुला स्थान।	बिना दहेज सही उम्र में शादी, परिवार में रहे खुशहाली फ्लिप–बुक अम्मा जी कहती हैं फिल्म (एफ.एफ.एल.)

सामुदायिक लामबन्दी तथा उन्हें शामिल करना

7

समुदाय, व्यवहार में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन में बदल सकता है। बाल विवाह की समाप्ति और किशोर–किशोरियों को सशक्त बनाने के प्रयास का दूरगामी प्रभाव तभी पड़ेगा जब समुदाय इसे मान्यता दे और पूरे मनोयोग से इसमें सहायता दें। किशोर–किशोरी और उनके परिवार बाल विवाह से अगर असहमत भी हों किन्तु वे इसे तभी नकार सकते हैं जब समुदाय उनका साथ देगा। बाल विवाह तथा किशोर–किशोरी सशक्तिकरण से जुड़े रवैये तथा व्यवहार में तभी बदलाव आ सकता है, जब समुदाय अपनी मानक सीमा रेखा से बाहर निकले। एक बार जब बाल विवाह से जुड़े मापदण्ड समाप्त होंगे, तब नए प्रगतिशील मापदण्ड जो किशोर–किशोरी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं, उनका स्थान ले लेंगे। मापदण्डों के बदलाव की प्रक्रिया में समुदाय धुरी बन जाता है, जिसके फलस्वरूप हम–उम्र तथा अंतर–पीढ़ी संवाद के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि किशोर–किशोरियों को प्रभावित करने वाले समुदाय और व्यापक व्यवस्था को भी शामिल किया जाए और उसके साथ संवाद किया जाए।

जैसे ही हम–उम्र साथियों के साथ तथा अंतर–पीढ़ी संवाद शुरू कर दिया जाए और सुदृढ़ता प्राप्त कर ले तब समुदाय को लामबन्द करने और भागीदार बनाने के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियों का नियोजन एवं क्रियान्वयन शुरू किया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि परिवर्तनशील (Movers) लोगों और नेताओं (Leaders) का चयन कर लिया जाए, जिनकी बात का असर होता है और जो समुदाय में किशोर–किशोरी सशक्तिकरण के मुद्दे को उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अवश्य संवेदित किया जाना चाहिए और उनके साथ मिलकर समुदाय को भागीदार बनाने एवं लामबन्द करने के लिए सामयिक और सतत् चलने वाली गतिविधियों की योजना बनायी जानी चाहिए।

इस कार्य के लिए विशेष दिन और त्योहार वाले महीनों का चयन किया जा सकता है जैसे– 8 मार्च (महिला दिवस), 23 मार्च (युवा दिवस), कटाई के त्योहार, विश्व स्वास्थ्य दिवस इत्यादि।

चित्र: 14

सामुदायिक भागीदारी एवं लामबन्दी के द्वारा संबोधित होने वाले मुख्य मुद्दे

वर्तमान सोच	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
अपनी बेटियों के भविष्य के लिए माता–पिता को केवल यही विकल्प दिखता है कि वे उनकी जल्दी शादी कर दें।	पूरे विश्व में और भारत में लड़कियां स्कूल और कॉलेज जाती हैं और उससे जो नौकरी पाती हैं उसी से वे अपनी तथा अपने माता–पिता की मदद करती हैं। लड़कियों की पढ़ाई में खर्च एक निवेश है जो उनके जीवन को अधिक सुरक्षित बनाएगा। अगर उन्हें नौकरी मिलती है तो वे परिवार की सुरक्षा में भी योगदान देंगी।
अगर लड़कियों को स्कूल भेजा भी जाता है तो भी लड़कियों की जीविका के विकल्प नहीं हैं	नौकरियों के लिए कौशल के अलावा, स्कूल के अनेक विकासात्मक लाभ हैं जैसे– पढ़ने में सक्षम होना, सरकारी स्कीमों के बारे में पढ़ना, आवेदन पत्र भरना, और ग्राम पंचायत में भाग लेना। स्वस्थ बच्चे को जन्म देने और उसे स्वस्थ रूप से विकसित करने के लिए शिक्षित माताएं जरूरी हैं।
"बाल विवाह सामाजिक रूप से स्वीकृत माना जाता है" यह सदियों से चला आ रहा है।	बाल विवाह का लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम पड़ता है क्योंकि इसके कारण उनकी गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जोखिम बढ़ जाता है और प्रसव में असफलता की संभावना बढ़ जाती है। बाल विवाह के कारण पढ़ाई छूट जाती है, उन पर बंधन लगाए जाते है और एकाकीपन में छोड़ दिया जाता है। उनके साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की संभावना अधिक होती है।
लड़की जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा दहेज देना पड़ेगा।	कम खर्चीले बाल विवाह के कारण जो बचत होती है उससे कहीं ज्यादा उस लड़की को अपने जीवन में भुगतना पड़ता है।
समुदाय के नेता परिवारों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं और ग्राम वासियों को उनके निर्णय में साथ देना पसन्द करते हैं।	सशक्त नेता भीड़ के पीछे नहीं चलते, वे कठिन परिश्रम करते हैं ताकि नए सकारात्मक मापदण्ड स्थापित हो सकें जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह करके किया, राजा राममोहन राय ने सती–प्रथा का अन्त करके किया। परिवार और समुदायों को उनके लिए फायदेमंद कार्यों को करने के लिए अच्छे नेता रास्ता दिखाते हैं।
वे नेता खासकर जो चुने गए हैं वे अपने ग्राम वासियों के विरूद्ध नहीं खड़े होते। समुदाय में सभी के द्वारा स्वीकृत व्यवहारों में हस्तक्षेप करने पर नेता की प्रसिद्धि धूल में मिल जाएगी।	सच्चे नेता वही करते हैं जो सही है। और जैसे ही लोगों को वास्तविकता का पता चलता है और उसके लाभों को जान लेते हैं तो वे भी उसका पालन करने लगते हैं।
नेता अपने गांव के सम्मान के बारे में चिंतित रहते हैं जो पुलिस या मीडिया के आने पर प्रभावित हो सकता है।	बच्चे के अधिकारों (कम उम्र में शादी न करना) की रक्षा न करना असली अपमान है। इसमें पुलिस आपकी मदद करेगी।

वर्तमान सोच	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
विवाह एक व्यक्तिगत/पारिवारिक मामला है। इसमें समुदाय के नेता क्या भूमिक निभा सकते हैं?	बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा लड़कियों की शिक्षा में निवेश के महत्व के बारे में ग्राम वासियों की समझ विकसित करने में नेताओं की अहम भूमिका है। लड़के–लड़कियों की शादी कराना केवल एक अपराध ही नहीं है बल्कि यह उनके सशक्त तथा स्वावलम्बी बनने के अवसर को भी उनसे छीनता है। नेता कानून को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे नेता जो वास्तव में अपने गांव के किशोर–किशोरियों का हित चाहते हैं वे अपने गांव में बाल विवाह को सक्रियता से रोकेंगे।

समुदाय को भागीदार बनाने और लामबन्द करने के लिए सामग्री

समुदाय के साथ बातचीत के लिए भी, हम–उम्र साथियों के साथ संवाद तथा अंतर–पीढ़ी संवाद की अनेक सामग्री इस्तेमाल की जा सकती हैं। *तारूण्य* पैकेज में और कई सामग्री ऐसी हैं जिनका प्रयोग बड़े समूहों या जन संचार के लिए किया जा सकता हैं। सामुदायिक संवाद, अंतर–पीढ़ी संवाद तथा हम–उम्र साथियों के साथ संवाद में संदेशों का एक समान होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक सामुदायिक लामबन्दी के प्रयासों में, अंतर–पीढ़ी संवाद तथा हम–उम्र साथियों के साथ संवाद के संदेशों पर पुनः बल दिया जाना चाहिए। अध्याय के इस भाग में उन सामग्रियों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें सामुदायिक संवाद गतिविधियों में प्रयोग किया जा सकता है।

तारूण्य पैकेज का प्रयोग करना

सन्दर्भ	विषय जिन्हें संबोधित करना है	प्राथमिक समूह	आकार	स्थान	सामग्री जिनका प्रयोग करना है
• दहेज प्रथा और बाल विवाह।	• दहेज प्रथा बन्द कराना और बाल विवाह की समाप्ति।	• समुदाय के सदस्य।	• बड़ा समूह (20 से अधिक)।	• खुला स्थान जो हवादार और छायादार हो।	• चन्दा पुकारे नाटक की पटकथा, प्रधानमंत्री के भाषण का वीडियो, खोटा सिक्का गीत।

तारूण्य पैकेज पर प्रशिक्षण

8

क्षमता विकास के लिए मुख्य मुद्दे

क्रियान्वयनकर्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं, जिन्हें प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता कहा जाता है, जिसमें शिक्षक/शिक्षिका, सामुदायिक नेता, धार्मिक नेता और जिले तथा राज्य स्तरीय पदाधिकारी तथा मीडिया शामिल है, वह मुख्य प्रभावी व्यक्ति हैं जिनका निम्नानुसार क्षमता विकास किया जाना चाहिए।

तारूण्य प्रशिक्षण मार्गदर्शिका के बारे में

तारूण्य पैकेज के असरदार तरीके से प्रयोग के लिए, सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन में शामिल सभी हितधारकों का क्षमता विकास और प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है। हर स्थिति में *तारूण्य* पैकेज पर प्रशिक्षण जरूर दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के आयोजन का दायित्व राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और जिले स्तरीय जिम्मेदार प्राधिकारियों का है। क्रियान्वयन करने वाले लोगों तथा जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भी सक्रियता से प्रशिक्षण की मांग करनी चाहिए।

याद रखने योग्य बातें

- प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का प्रयोग किया जाना चाहिए/अनुकूलित किया जाना चाहिए।
- प्रतिभागियों की प्रशिक्षण आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण की पद्धति, विषय–वस्तु तथा योजना में बदलाव/सुधार करें।
- समय और बजट की सीमा का ध्यान रखें।
- प्रशिक्षण को एक प्रक्रिया के रूप में देखें, न कि एक बार की जाने वाली गतिविधि के रूप में। प्रशिक्षण योजना में फीड–बैक, रिफ्रेशर तथा कार्य के दौरान सहायता (Handholding) की व्यवस्था रखें।

© UNICEF

चित्रः 15

क्षमता विकास का क्षेत्र	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
बाल विवाह को समाप्त करने में वर्तमान समय की बाधाएं।	• प्रचलित मान्यताएं और सामाजिक मापदण्ड जैसे– लड़कियों के लिए विवाह ही एकमात्र विकल्प है, लड़कियों को शिक्षित करने के बावजूद उनके पास जीविका का कोई विकल्प नहीं हैं; लड़कियों की सुरक्षा, विवाह एक व्यक्तिगत मामला है जिसमें बाहरी लोगों को हस्तक्षेप नहीं डालना चाहिए। • बाल विवाह सदियों से होता आ रहा है और ऐसी परम्परा को बदलना कठिन है, ऐसे विवाह गुप्त रूप से किये जाते हैं। जिसके कारण इन्हें रोकना कठिन है। • लोगों को कानूनों की कम जानकारी है और उन्हें यह नहीं पता कि मामलों की रिपोर्ट कैसे की जाए। • कर्जदार हो चुके परिवारों की शादी रुकवाने में कानून लागू करने वाले अधिकारी दुविधा में पड़ जाते हैं। • बाल विवाह एक आकर्षक/सनसनीखेज कहानी बन जाता है।
वर्तमान कानून, व्यवस्था और सहायता देने वाला तंत्र	• कानूनों के प्रति जागरूकता जैसे–बाल विवाह निषेध अधिनियम, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, शिक्षा का अधिकार। • विभिन्न हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्वों पर प्रशिक्षण। • योजनाओं जैसे–एस.ए.जी., बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य और अन्य योजनाएं, जो किशोर–किशोरी के अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू की गई हैं, के बारे में जानकारी।
जिम्मेदार और जवाबदेह बनना	• प्राधिकारी, नेता और प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता को, कानून का सख्ती से पालन करके हानिकारक प्रयासों तथा सामाजिक मापदण्डों को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। • किशोर–किशोरियों के अधिकारों का उल्लंघन होने से बचाव करने का दायित्व उनका है। • उन्हें इसका सक्रियतापूर्वक बहिष्कार करना चाहिए और बाल विवाह की घटना की रिपोर्ट तुरन्त देनी चाहिए। • उन्हें बाल विवाह से होने वाले जोखिम के बारे में जागरूक करना चाहिए और किशोर–किशोरियों के लिए योजनाओं की जानकारी देनी चाहिए। • उनमें यह क्षमता है कि वे किशोर–किशोरियों का सशक्तिकरण कर सकें और उनके जीवन में बदलाव ला सकें। • मीडिया को बाल विवाह की रिपोर्टिंग संवेदनशील और जिम्मेदार तरीके से करनी चाहिए और पीड़ित व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को ध्यान में रखना चाहिए। • मीडिया को रोल–मॉडल का तथा सकारात्मक पथांतरण (डेवियांस) के मामलों का प्रदर्शन करना चाहिए।

क्षमता विकास का क्षेत्र	मुद्दे जिन्हें संबोधित करना है
गतिविधि और बदलाव के अगुवा	• बदलाव की अगुवाई करने वाला होने के नाते उन्हें हम–उम्र साथियों, अंतर–पीढ़ी और समुदाय के स्तर पर बहुस्तरीय सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियां शुरू करनी होंगी और कायम रखनी होंगी। • नजर आने वाले बदलाव और बदलाव में तेजी लाने के लिए एकजुट होकर कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। • मीडिया की व्यापक पहुंच है इसलिए सामाजिक बदलाव लाने में वह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- अपनी योजना में एक आवश्यक अंग के रूप में प्रशिक्षण के परिणामों के अनुश्रवण को शामिल करें।
- मास्टर ट्रेनरों का एक कैडर तैयार करें और उनकी तैयारी अच्छी तरह से करवाएं।
- अन्तर–विभागीय अभिसरण का लक्ष्य रखें। इसके लिए प्रतिभागियों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास और युवा मामलों के विभागों इत्यादि से प्रतिभागियों को शामिल करें।

9 कार्य योजना तैयार करना

किशोर सशक्तिकरण के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर योजना बनाना महत्वपूर्ण है।

तालिका: 2

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कार्रवाई के बिंदु

	राष्ट्र	राज्य	जिला
योजना विकसित करना	सुनिश्चित करें कि राज्य एसबीसीसी के लिए कार्य योजना विकसित करता है। एसबीसीसी हस्तक्षेप और तारुण्य पैकेज के उपयोग के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट और साझा करें।	एसबीसीसी के लिए राज्य की कार्य योजना विकसित करें। राज्यों से जिलों के स्तर तक संचार बिना अर्थ बदले निर्बाध रूप से पहुंचे।	जिला स्तर के लिए कार्य योजना बनायें।
पैकेज अनुकूलन	राज्य स्तर के क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए तारुण्य पैकेज का भाषा अनुकूलन/सुधार।	राज्यों से जिलों तक पैकेज के भाषा संस्करण प्रसारित करें और क्रियान्वयनकर्ताओं और इसका उपयोग करने वालों तक तारुण्य पैकेज की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराएं।	
क्षमता विकास	मास्टर प्रशिक्षकों एवं क्रियान्वन साझेदारों के तारुण्य पैकेज के उपयोग पर क्षमता विकास के लिए राज्यों को सहयोग दें। क्षमता विकास, सलाह और हैंडहोल्डिंग पर साझेदारी के लिए उपलब्ध संगठनों की सूची साझा करें।	पैकेज को लक्षित समूह तक पहुँचाने के लिए और प्लेटफार्मों की पहचान करें। इन पहचाने गए प्लेटफार्म में से प्रासंगिक (राज्य विशिष्ट) प्लेटफार्म को चुने और उन पर गहन क्रियान्वन के लिए सहयोग दें।	प्रमुख हितग्राहियों के लिए क्षमता विकास गतिविधियां आयोजित करें।
अभिसरण	राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ अभिसरण।	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास, कौशल विकास विभागों और राज्य नेहरु युवा केंद्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) के बीच अभिसरण।	सभी जिला स्तर के निकायों और अधिकारियों के बीच अभिसरण, जिसे जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर (डीएम/डीसी) द्वारा संचालित किया जायेगा।

परिणामों की निगरानी करें

राष्ट्र	राज्य	जिला
प्रशिक्षण और वास्तविक क्रियान्वयन को ट्रैक करने के लिए निगरानी प्रारूप प्रदान करें। राज्यों द्वारा तारुण्य पैकेज के उपयोग की निगरानी करें।	शिक्षण और वास्तविक क्रियान्वयन को ट्रैक करने के लिए निगरानी प्रारूपों का अनुकूलन/बदलाव और उपयोग करें। पैकेज के उपयोग की निगरानी करें।	प्रशिक्षण और वास्तविक क्रियान्वयन को ट्रैक करने के लिए निगरानी प्रारूपों का उपयोग करें।

कार्य योजना तैयार करना: याद रखने योग्य बातें

- योजना बनाने से पहले मौजूदा परिस्थिति का आकलन करें और एक बेसलाइन स्थापित करें।
- दीर्घ–कालीन नजरिये के साथ योजना बनायें – जैसे जिला स्तर पर एक वर्ष के लिए, राज्य स्तर पर 5 वर्ष के लिए, इत्यादि; लेकिन योजना को पूरा करने के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें।
- योजना का ड्राफ्ट बनाते समय योजना को लागू करने में भूमिका अदा करने वाले सभी हितग्राहियों को इसमें शामिल करें, और योजना में अंतर–विभागीय अभिसरण को शामिल करें।
- इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दें – हम क्या हासिल करना चाहते है, क्यों, कैसे, कब, और किसके साथ, क्या कोई शर्ते या सीमाएँ हैं; इसको लागू करने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी?
- स्मार्ट लक्ष्यों के साथ योजना को यथार्थवादी रखें। स्मार्ट लक्ष्य – विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक और समय पर।
- लक्ष्यों को नजर में रखते हुए आउटकम (परिणाम), आउटपुट, इनपुट, गतिविधि, और संसाधन, निगरानी सूचक को पहचानें और निर्धारित करें।
- सभी हितग्राहियों की भूमिका और जिम्मेदारी को स्पष्ट करें।
- जब योजना पूरी बन जाए तो उसे उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो इसको लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- एक बार तय हो जाये तो योजना के मुताबिक काम करें, लेकिन साथ ही थोड़ा लचीलापन बनाये रखें।
- मापने योग्य निगरानी सूचकों के जरिये आउटपुट और आउटकम (परिणामों) को जांचे और योजना की प्रगति की निगरानी करें।
- इस बात का ध्यान रखें कि एस.बी.सी.सी. के द्वारा आने वाले परिवर्तनों को मापना हमेशा संभव नहीं होता है, इसलिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों सूचकों को पहचाने और शामिल करें।
- इस बात पर विश्वास बनाये रखें कि परिवर्तन संभव है और हम उसे हासिल कर सकते हैं।

बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जिला स्तरीय योजना बनाना
(इसमें किशोरों और माता-पिता के साथ पाक्षिक (2 सप्ताह पर) अंतर-पीढ़ी संवाद के सत्र शामिल है)
(केवल संदर्भ के लिए)

लक्ष्य एवं समय-सीमा

अगले 1 वर्ष में जिले में बाल विवाह में 10 प्रतिशत की कमी लाना

गतिविधि

- समूह सत्रों के दौरान फैसिलिटेटर किशोरों और माता–पिता को व्यावहारिक जानकारी, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है
- फैसिलिटेटर बाल विवाह के कारणों और परिणामों पर चर्चा करता है और इस बात पर जोर देता है कि इससे पीड़ित और जोखिम–वाले बच्चों को सुरक्षा देने की आवश्यकता होती है।
- फैसिलिटेटर किशोरों और माता–पिता के बीच संवाद को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे एक–दूसरे के विचारों, धारणाओं और अपेक्षाओं को समझ सकें
- फैसिलिटेटर जोखिम–वाले बच्चों के लिए उपयोगी सामुदायिक संसाधनों, समर्थन योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करता है।

इनपुट

- कार्यक्रम किशोर–किशोरी मुद्दों पर आठ अनुभवी पार्ट टाइम फैसिलिटेटर प्रदान करता है।
- कार्यक्रम तारुण्य पैकेज के लिए संचार सामग्री, रेडियो, एलसीडी और प्रोजेक्टर प्रदान करता है।

आउटपुट

- माता–पिता और किशोर–किशोरी बाल विवाह और शिक्षा के महत्व पर पाक्षिक अंतर–पीढ़ी संवाद सत्रों में भाग लेते हैं

परिणाम

- ज्यादातर किशोर और किशोरियां स्कूल जा रहे हैं और 18 वर्ष की उम्र से पहले शादी नहीं कर रहे हैं।
- वे बाल विवाह को ना कहने में सक्षम हैं।
- माता–पिता बाल विवाह के नुकसान को समझते हैं और शिक्षा पूरी होने और विवाह की कानूनी उम्र पार करने के बाद ही विवाह करते हैं।

परिवर्तन के सूचक

- प्रतिशत किशोर, जिन्होंने तरुण पैकेज के माध्यम से किशोरों के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की है।
- प्रतिशत माता–पिता, जिन्होंने *तारुण्य* पैकेज के माध्यम से किशोरों के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की है।
- प्रतिशत किशोर, जो बाल विवाह को अस्वीकार करते है।
- प्रतिशत माता–पिता, जो बाल विवाह को अस्वीकार करते हैं।

सत्यापन करने का तरीका

- माता–पिता के साथ ज्ञान और मनोवृति सर्वेक्षण।
- हस्तक्षेप से पहले और बाद में, पुलिस या अन्य बाल संरक्षण एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए बाल विवाह के मामलों के बीच तुलना।

© NCCDC

10

परिणामों की निगरानी (अनुश्रवण)

मॉनिटरिंग (निगरानी) का अर्थ है योजना के साथ कार्य की प्रगति की तुलना करना। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि "यदि किसी कार्य की निगरानी हो रही है तो यह माना लिया जा सकता है कि कार्य जरूर होगा, या कार्य बेहतर तरीके से होगा"। यह कार्यक्रम के बारे में सुनियोजित तरीके से जानकारी को इकठ्ठा करने, विश्लेषण करने और लक्ष्य की ओर कार्य की प्रगति पर नजर रखने के लिए और प्रबंधन के फैसलों को दिशा देने के लिए उपयोगी प्रक्रिया है।

सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार में निगरानी

सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार के संदर्भ में निगरानी करना बेहद जटिल है, क्योंकि व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना एक बेहद धीमी और बार–बार दोहरायी जाने वाली प्रक्रिया है। इसलिए योजना बनाने के समय ही एक निगरानी रूपरेखा (मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क) तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस निगरानी रूपरेखा को कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि और हस्तक्षेप में शामिल किया जाना चाहिए। कार्यक्रम को लागू करने वालों को यह बिल्कुल स्पष्ट होना जरूरी है कि किस चीज की निगरानी की जानी है, उसकी निगरानी कैसे की जाएगी और कौन और कब इसकी निगरानी करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम हासिल हो रहे है, किसी भी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेप की प्रत्येक गतिविधियों, उसकी पहुँच, गुणवत्ता, प्रक्रिया और प्रभावशीलता की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

चित्र: 16

संकेतक और निगरानी के तरीके

निगरानी के लिए संकेतकों के कुछ नमूने

संकेतक	तरीके
किशोर/किशोरी • प्रतिशत किशोर–किशोरियां जो शिक्षा के अधिकार सहित अपने अधिकारों तथा हकों को जानते हैं। • प्रतिशत वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जागरूकता में। • प्रतिशत किशोर–किशोरियां, जो मानते हैं कि कानूनी उम्र से पहले शादी करना हानिकारक है। • प्रतिशत किशोर–किशोरियां, जिन्होंने *तारुण* पैकेज के माध्यम से किशोरों के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की है। • प्रतिशत किशोर–किशोरियां, जो लड़कियों और लड़कों के खिलाफ हिंसा को अस्वीकार करते हैं। • प्रतिशत किशोर–किशोरियां, जो यह समझते हैं कि उनके समुदाय में बाल विवाह, हिंसा और मौजूदा भेदभाव कम हो रहे हैं।	ज्ञान, मनोवृति, और अभ्यास (केएपी) सर्वेक्षण, साक्षात्कार, स्व–रिपोर्ट प्रश्नावली, अवलोकन और केन्द्रित समूह चर्चा (एफजीडी) या इनका कोई मिश्रण रजिस्टरों, उपस्थिति रिकॉर्ड और एमआईएस जैसे द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ों की समीक्षा करना।

संकेतक	तरीके
माता-पिता • किशोर–किशोरियां के माता–पिता का प्रतिशत – जो हिंसा, भेदभाव और बाल विवाह के संबंध में अस्वीकृति व्यक्त करते हैं। • किशोर–किशोरियां के माता–पिता का प्रतिशत, जो बाल विवाह, भेदभाव और हिंसा के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानते हैं। • किशोर–किशोरियां के माता–पिता का प्रतिशत, जिन्होंने किशोरों के संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गतिविधियों (वार्ता, चर्चा और परामर्श) में हिस्सा लिया है। • किशोर–किशोरियां के माता–पिता का प्रतिशत, जो किशोरों को सुरक्षा और कल्याण के लिए सूचना और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सहायता देते हैं।	ज्ञान, मनोवृत्ति तथा अभ्यास पर सर्वेक्षण, साक्षात्कार, केन्द्रित समूह चर्चा (एफजीडी) और अवलोकन
सेवा प्रदाता • किशोर–किशोरियां का प्रतिशत, जिन्हें पोषण (संतुलित आहार, आहार विविधता) की जानकारी है। • किशोर–किशोरियां का प्रतिशत (10–19 वर्ष), जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम तीन पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की हैं (एनीमिया नियंत्रण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य)	द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ों की समीक्षा, सेवा प्रदाताओं द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड और एमआईएस

संकेतक	तरीके

ग्राम कार्यकर्ता और किशोर समूह

- किशोर हम–उम्र शिक्षकों का प्रतिशत, जिन्होंने अधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार को रोका है।
- किशोर–किशोरियां की संख्या, जो समूहों के सदस्य हैं (जीवन कौशल, सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य आदि के मुद्दों को संबोधित करते हुए)
- समूहों के किशोर–किशोरी सदस्यों का प्रतिशत, जो आत्म–प्रभावकारिता की बढ़ी हुई भावना महसूस करते हैं जिनमें अधिक आत्मविश्वास आ गया हो; बिना किसी डर के बोलने में सहज महसूस करें, जो निर्णय लेने में सहज महसूस करते हैं।
- समूहों के किशोर–किशोरी सदस्यों का प्रतिशत, जो विशिष्ट जीवन कौशल कार्यक्रमों में भाग लेते है।
- ऐसे समूहों के सदस्यों का प्रतिशत, जो स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने और स्वयं को HIV/AIDS से बचाए रखना जानते हैं।
- किशोर–किशोरियां के माता–पिता का प्रतिशत, जो किशोर लड़कों और लड़कियों के साथ अंतर–संवाद में भाग लेने वाले समूहों के सदस्य है।
- फ्रंटलाइन प्रशिक्षित कार्यकर्ता, जो जानते हैं कि प्रासंगिक सेवाओं के मामलों को कैसे रेफर किया जाए।

केएपी सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, दुय्यम स्रोतों से डेटा की समीक्षा जैसे कि ग्राम कार्यकारियों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड, सदस्यता रिकॉर्ड, उपस्थिति रिकॉर्ड और स्कूल रिकॉर्ड

याद रखने योग्य बातें

- निगरानी को कार्यक्रम की योजना में शामिल करें।
- पूरी परियोजना के दौरान इसे जारी रखें।
- निगरानी सूचकांक परियोजना के आउटपुट और परिणामों के अनुसार बनायें।
- निगरानी के लिए भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट तौर से निर्धारित करें।
- परियोजना को लागू करने के दौरान कमियों को दूर करने (मिड–कोर्स करेक्शन) के लिए जानकारी का विश्लेषण करना, चर्चा करना और समय पर रिपोर्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है।

संलग्नक: आधा फुल वीडियो देखने के बाद वैचारिक बदलाव का अनुश्रवण करने हेतु प्रश्नावली। इस कथनों को पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें पांच बिन्दुओं के आधार पर आंका जाना चाहिए जैसे कि – पूरी तरह असहमत, असहमत, पता नहीं, सहमत, पूरी तरह सहमत।

कथन

कहानी 1– विवाह का षड़यन्त्र

विवाह के लिए स्कूल की पढ़ाई छोड़ना ठीक है।

18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करना ठीक है।

लड़कियों को शादी करके घर देखना है इसलिए पढ़ाई जारी रखने की जरूरत नहीं है।

अगर रिश्ता अच्छा मिले तो लड़के–लड़कियों को कम उम्र में भी विवाह कर लेना चाहिए।

हमें अपने माता–पिता से बातचीत करने के लिए सक्षम बनना होगा भले ही वे पढ़ाई जारी रखने के लिए राज़ी न हों।

कहानी 2– वन में भ्रमण

लड़के और लड़कियों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवहारों में अंतर रहना जरूरी है, जैसे– मोबाइल फोन का इस्तेमाल, लड़कियों का सिर ढ़कना, लड़कों का मोटरसाइकिल चलाना

लड़कियां जब अकेले दिखें तो लड़कों द्वारा उन्हें सताना ठीक है

अगर किसी सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल जाते समय रास्ते में, सड़क पर, बस स्टैण्ड पर, बस में आदि अगर किसी लड़की को सताया जा रहा है तो यह ठीक ही है।

लड़कियों को अपने उत्पीड़न के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए।

लड़कियां अपनी वेश–भूषा, चाल–ढाल और बातचीत के तरीके से उत्पीड़न को न्योता देती हैं।

कहानी 3– तेजू एक्सप्रेस

लड़कियों की जिम्मेदारी है खाना बनाना और घर की देखभाल करना, इसलिए उन्हें खेलकूद में भाग नहीं लेना चाहिए।

जो हम खाते हैं, वह भले ही स्वास्थ्यप्रद न हो किन्तु उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए।

अगर हम दिन में 3 बार नहीं खाते हैं तो भी कोई बात नहीं।

जब परिवार के सभी लोग खाना खा लें उसके बाद महिलाओं तथा लड़कियों को भोजन करना चाहिए।

स्वस्थ रहने के लिए लड़कों और लड़कियों को अलग–अलग आहार की जरूरत है।

कहानी 4– मैं उड़ना चाहती हूं

लड़कियों को इधर उधर भाग–दौड़ नहीं करनी चाहिए। मोटरसाइकिल चलाना, फुटबाल खेलना, मोबाइल के इस्तेमाल से परहेज रखना चाहिए

लड़कियों को लड़कियों की तरह व्यवहार करना चाहिए

लड़के और लड़कियों के लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि वे जो करना चाहते हैं जैसे मोबाइल का इस्तेमाल, स्कूटर चलाना, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज जाना आदि के लिए, उन्हें अपने माता–पिता को सहमत करने के लिए, उनका अपने माता–पिता से बातचीत करना जरूरी है।

लड़के और लड़कियों को एक समान अवसर नहीं मिलना चाहिए

माता–पिता लड़कियों के लिए एक अच्छा जोड़ा पाना चाहते हैं किन्तु लड़कों के लिए उनकी ऐसी कोई आकांक्षा/अपेक्षा नहीं होती।

कथन

कहानी 5– काले कारनामे

अगर कोई लड़की उत्पीड़ित होती है तो उसे किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए।

अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है तो यह उसकी गलती है और इसके लिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए।

अगर कोई आपको छूता है या बल प्रयोग करता है तो इसे खामोशी से सहना ही ठीक है।

लड़के उत्पीड़न झेलते हैं और खामोश रहते हैं क्योंकि वह इस बात के लिए शर्मिन्दा होते हैं कि पुरूषों को इस बारे में बात नहीं करना चाहिए।

छोड़छाड़ या यौन उत्पीड़न के बारे में किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करने के लिए सक्षम बनना।

कहानी 6– मुझे धनराशि दिखाओ

लड़कों को पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट लाना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए।

लड़कों को प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और प्रसिद्ध होना चाहिए।

डराने या दबाव बनाने के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए।

मजबूत या पुरूषार्थी दिखने के लिए आपको आक्रामक और उग्र होना चाहिए।

परिवार की आलोचना से बचने के लिए परिवार के दबाव के प्रति अपनी व्यग्रता तथा चिन्ता को छुपा कर रहना चाहिए।

कहानी 7– बालिका दुल्हन

जो कार्य लड़कों के करने के लिए हैं वह कार्य करने पर लड़कियों की शादी की संभावना कम हो जाती है।

लड़के बाहर जाकर मस्ती कर सकते हैं लेकिन लड़कियों को घर पर रहकर घर के काम करने चाहिए।

विवाह और स्वतंत्रता एक ही समान है।

दूसरे व्यक्ति के साथ उग्र व्यवहार करना और उसे नियंत्रण में रखना ठीक है।

शादी करके एक बिगड़े और गैर–जिम्मेदार व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बदला जा सकता है।

माता–पिता को अपनी लड़कियों और लड़कों की परवरिश हर तरह की समानता के साथ करनी चाहिए

कहानी 8– परीक्षा का भूत

आपको गंभीरता से पढ़ाई में लगाने के लिए परीक्षा जरूरी है।

अगर आपने परीक्षा में अच्छा नतीजा प्राप्त नहीं किया तो यहीं संसार का अंत हो जाता है।

आप स्कूल में बुरा नतीजा लाने के बावजूद जीवन में अच्छा कर सकते हैं।

समाज में स्कूल या अध्यापक/अध्यापिका या परिवार या अन्य लोगों के द्वारा आप पढ़ाई के लिए दबाव महसूस करते हैं और आपके बारे में राय बनायी जाती है।

माता–पिता अच्छे अंकों के लिए दबाव बनाते हैं।

कथन

कहानी 9– सम्मान का मामला

सभी लड़के–लड़कियों में केवल रूमानी संबंध होते हैं।

लड़कियों और महिलाओं को अपनी पसन्द और अभिलाषाओं के साथ एक व्यक्ति का दर्जा नहीं मिलता।

सभी भाईयों को अपनी बहनों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

पारिवारिक सम्मान की धारणा लड़के और लड़कियों पर एक बड़ा बोझ है।

जो माता–पिता अपनी लड़कियों को अनुशासित बनाने पर केन्द्रित होते हैं, वे यह नहीं देखते कि लड़के कैसे हैं।

कहानी 10– अपहृत

माहवारी एक सामान्य प्रक्रिया है और सभी लड़कियों को होती है।

बच्चों का स्कूल छुड़ा कर उन्हें काम करने के लिए भेजना ठीक है।

लड़कियों और महिलाओं की माहवारी को सामान्य घटना बनाने में लड़कों की भूमिका होती है।

सभी बच्चों को खेलने, भागीदारी करने और शिक्षित होने का अधिकार है।

माता–पिता को अपनी बेटियों के साथ माहवारी के बारे में बात करनी चाहिए ताकि वे इसके लिए तैयार हो जाएं और डरें नहीं।

अगर परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं है तो बच्चों से मजदूरी कराना ठीक है।

कहानी 11– घर–घर की कहानी

असली मर्द सिद्ध करने के लिए पत्नी को पीटना भी एक तरीका है।

महिलाओं को बच्चों, शादी, घर और परिवार की खातिर हिंसा को सहन जरूर करना चाहिए।

घर पर हिंसा या तो आप को निराश करेगा या एक धौंस जमाने वाला बताएगा।

कमजोर व्यक्ति जो स्वयं को बचाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ हिंसा अपनी शक्ति दिखाने का तरीका है।

अगर आप हिंसा होते हुए देखें तो बोलें और उसे रोकें।

अगर घर में हिंसा होती है तो शान्तिपूर्वक सहन करें, किसी से कुछ न कहें और अपने तरीके से उसे सुलझाएं।

आर्थिक रूप से स्वतंत्रता आपको हिंसा के खिलाफ खड़े होने की ताकत देती है।

कहानी 12– डांस और ढिशुम

परम्परागत भूमिकाओं को तोड़ना आपके लिए ठीक है।

लोगों को इस बात के लिए संवाद और प्रभावित करना कि वे जीवन में जो करना चाहते हैं उसके लिए ज्यादा कठोर न हों, बहुत ही महत्वपूर्ण है।

परिवार एक ऐसा स्थान है जहां आपको समझा जाता है, देखभाल होती है और सहयोग मिलता है।

असहमति को बातचीत, सम्मान और अस्वीकृति के द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है।

माता–पिता की अपेक्षाओं के कारण आप अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाने के लिए दबाव में आ जाते हैं और आपका दम घुटता है।

बातचीत से एक दूसरे को समझने में तथा यह जानने में मदद मिलती है कि आपको क्या खुश करता है।

कथन

कहानी 13– नकल उतारना

अनुचित बातों को देखकर भी उसके खिलाफ न बोलना ठीक है।

गंभीर बीमारी के अलावा स्कूल छूटने से आप अपनी स्कूल की पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं।

पूरी पढ़ाई करने पर आप अपने कार्य में अधिक कुशल हो सकते हैं।

आप पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरों को सहमत कर सकते हैं।

बच्चों को जीवन में जल्दी कमाने की जिम्मेदारी देने से उनकी पढ़ाई छूट जाती है और वे दुःख महसूस करते हैं।

कहानी 14– अगर केवल मैं हीरो होता

छेड़खानी करना नुकसानदेह है और क्रूरता है।

यह ठीक है कि कोई आपके समान नहीं है बल्कि भिन्न है।

अपनी कमजोरी को स्वीकारना और अपनी क्षमताओं पर केन्द्रित होना महत्वपूर्ण है।

किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके साथ दोस्ताना बर्ताव रखने से, वह अपने को अलग–थलग महसूस नहीं करेगा।

माता–पिता को अपने बच्चों के साथ उन विषयों पर बातचीत करनी चाहिए जिनमें वे अच्छे हैं, उन्हें ढाढस देना चाहिए और उनकी तकलीफों को समझना चाहिए।

कहानी 15– खुशी–खुशी विवाह

युवाओं को अपना निर्णय लेने की अनुमति देनी चाहिए।

थोपे गए निर्णय व्यक्ति को क्रोधी, असहज तथा तनावग्रस्त बनाते हैं

आप अपने माता–पिता को इस बात के लिए सहमत कर सकते हैं कि वे आप पर अपने निर्णय न थोपें।

शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखना व्यावहारिक है।

अगर आपको मौंका दिया जाए तो क्या आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जीवन में कुछ अलग कर सकते हैं।

कहानी 16– नहीं मतलब नहीं

संबन्ध वाले व्यक्ति के साथ बिना उसकी सहमति के जबरदस्ती करना उचित है।

पीछा करने का जुनून, अनचाहे ध्यान आकृष्ट करना एक आपराधिक कृत्य है।

अगर संबंध में कोई नहीं कहता है तो यह ठीक है।

किसी को असुरक्षित महसूस कराना ठीक है।

लड़कों को सहमति के महत्व को तथा प्यार, जबरदस्ती और नियंत्रण के अन्तर को जरूर समझना चाहिए।

कथन

कहानी 17– घर की सच्चाई

बिना सहमति के किसी को छूना ठीक है।

अगर आपके साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है तो आपको चुप रहना चाहिए।

यौन दुर्व्यवहार केवल लड़कियों के साथ होता है।

कोई भी व्यवहार जो सामान्य नहीं है वह संभावित दुर्व्यवहार हो सकता है।

दर्दनाक अनुभवों से उबरने के लिए परामर्श से मदद मिल सकती है।

कहानी 18– बराबर है

जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना सही है।

भेदभाव से लड़ने के बजाए उसे चुपचाप सहना अच्छा है।

भेदभाव के विरूद्ध सामूहिक रूप से कार्य करना सामाजिक बदलाव के लिए जरूरी है।

जाति, लिंग, धर्म के अलग–अलग होने के बावजूद सभी इंसान बराबर हैं।

जो लोग बराबरी के लिए खड़े होते हैं उन्हें पुरस्कृत करना जरूरी नहीं है।

कहानी 19– रहस्यपूर्ण खेल

जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उन्हें अपमानित करना चाहिए।

अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो हारे हुए व्यक्ति की तरह महसूस करना ठीक ही है।

बच्चों के स्कूल में पाए अंकों के आधार पर उनके बारे में राय बनानी चाहिए।

माता–पिता को बच्चों को स्वयं साबित करने के लिए अवसर देकर उनकी सहायता करनी चाहिए।

आपके माता–पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं यह कोई मायने नहीं रखता।

कहानी 20– मैं सुन्दर हूं

इस बात पर ध्यान दें कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं।

दूसरों को धमकाने के लिए साईबर स्पेस का इस्तेमाल करना ठीक है

आपकी चमड़ी का रंग आपकी परिभाषा नहीं देता।

सोशल मीडिया साईट्स पर सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है।

बच्चों की आलोचना करने से वे अपना संतुलन और आत्मविश्वास खो देते हैं जिसके कारण वे साइबर छेड़छाड़ के आसान शिकार बन जाते हैं।

कथन

कहानी 21– बजरंग कठिनाई में

समाज में लड़कियां उतनी ही सक्षम हैं जितने लड़के हैं।

चाहे लिंग जो भी हो आपको रुकावटों को सुलझाने के लिए निर्भीक और संसाधन युक्त बनना होगा।

लड़कियां कमजोर होती हैं और घर के बाहर की भूमिका नहीं निभा सकती हैं

हमारे समाज में लड़के तथा लड़कियों का पालन पोषण अलग–अलग तरीके से किया जाता है।

माता–पिता को लिंग के दायरे से बाहर निकलकर अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए।

कहानी 22– मेरा जीवन मेरी पसन्द

परिवार के किसी अन्य सदस्य को नहीं बल्कि दंपत्ति को यह निर्णय लेना चाहिए कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है।

अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास तब भी करना चाहिए जब परिवार उसके लिए सहमत न हो।

लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने और कैरियर का लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है।

बच्चों को चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए।

माता–पिता को अपने बच्चों से उन निर्णयों पर बात करनी चाहिए जिन पर वे बच्चों की राय लेना चाहते हैं।

कहानी 23– वह कौन थी

लड़की की शादी हो जाने के बाद उसका अपने घर पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है।

महिला को अपने पति के घर में हिंसा झेलने के बाद भी कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

महिला के विरूद्ध हिंसा या अपराध देखने के बाद भी चुप रहना ही ठीक है।

पिता के शुक्राणु से गर्भ के शिशु का लिंग निर्धारित होता है।

सामाजिक दबाव, कलंक और आरोप के डर से लोग अपनी बेटियों को घरेलू हिंसा झेलने देते हैं।

कहानी 24– मुकुट में जवाहरात

खेल में लड़कों से हारना ठीक है लेकिन लड़कियों से हारना शर्मनाक है।

जीवन भर लड़कियों पर हावी रहने के लिए लड़के प्रशिक्षित होते हैं।

लड़कियां जो बनना चाहती हैं उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

माता–पिता को लड़कियों को शिक्षित होने और विवाह से पहले अपना कैरियर बनाने में सहयोग देना चाहिए।

अपनी बेटी के भविष्य को संवारने में माता की भी बराबर की महत्वपूर्ण भूमिका है।

कथन

कहानी 25– सीमा रेखा पार न करना

हर प्रकार की चुनौती में शामिल होना चाहिए, भले ही वह आपकी ऊर्जा की बर्बादी हो।

लड़कियों को यह साबित करना पड़ेगा कि वह उतनी ही अच्छी हैं जितने लड़के हैं।

लड़कों को स्वयं को लड़का साबित करने के लिए और अन्य लड़कों के सामने अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए हमेशा दबाव का सामना करना पड़ता है।

पुरुषों को महिलाओं के लिए सीमा रेखा निर्धारित करना चाहिए।

सभी महिलाओं तथा लड़कियों को एक व्यक्ति के रूप में सम्मान मिलना चाहिए जहां हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण न हो।

कहानी 26– सब अच्छा है जब अंत अच्छा हो

समानता के लिए तथा अपने शर्तों पर जीवन बिताने के लिए लड़ना उचित है।

सत्ता चाहने वाले लड़के हमेशा लड़कियों के विकास और उत्कृष्टता को सीमित करने का रास्ता निकाल लेंगे।

जो लोग स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं वे परिपक्वता दिखाते हैं और स्वयं के लिए सच्चे हैं।

कुछ लोग नए विचारों को स्वीकार करते हैं जबकि दूसरे लोग सामाजिक बदलाव के विचारों पर कार्य करते हैं।

कम प्रतिरोध पर अधिक लोगों द्वारा स्वीकृत, विचार को नया सामाजिक मापदण्ड कहा जाता है।